



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ


कुला०/
दिनांक: 25.05.2022


बैठक की कार्यवाही

दिनांक 25.05.2022 को दोपहर 03.30 बजे कुलानुशासक कार्यालय में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे—


- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 2. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक) |
| 3. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 4. डॉ० सरू कुमारी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डॉ० प्रदीप चौधरी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 6. डा० योगेन्द्र कुमार गौतम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |


दिनांक 23.05.2022 को एस०सी०आर०आई०ई०टी० के ई०सी० विभाग में प्रथम वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों के मध्य हुए झगड़े के प्रकरण व पोर्टल पर रैगिंग की शिकायत सं०— UP-0074 का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा सन्दर्भित प्रकरण को एन्टी रैगिंग कमेटी व आन्तरिक विभागीय जाँच हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।



(ई० प्रवीण कुमार)


(डा० सचिन कुमार)



(डा० योगेन्द्र कुमार गौतम)


(डा० प्रदीप चौधरी)


(डा० सरू कुमारी)
25.05.2022


(डॉ० अशोक कुमार)


(डा० दुष्यन्त सिंह चौहान)
25.05.2022


(प्रो० बीरपाल सिंह)
25/5/2022



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांकः 23.03.2021

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 23.03.2021 को दोपहर 02.30 बजे कुलानुशासक कार्यालय में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 2. प्रो० नवीन चन्द लोहानी | (विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग, विशेष आमंत्रित) |
| 3. डा० राहुल कुमार | (सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 4. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डॉ० प्रदीप चौधरी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डा० नाजिया तरन्नुम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डा० योगेन्द्र कुमार गौतम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. डा० स्वाति सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० स्वाति शर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 13. श्री मनी गर्ग | (सहायक कुलानुशासक) |

बैठक में कुलानुशासक कार्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये :-


प्रकरण 1 :- संबंधित प्रकरण में परीक्षा नियन्त्रक के पत्र पत्रांक : प०नि०/537, दिनांक 15.09.2020 व कुलसचिव महोदय पत्र पत्रांक : पी०ए०/3367, दिनांक 01.02.2021 का संज्ञान लिया गया सन्दर्भित प्रकरण में भूतपूर्व छात्र शान मौहम्मद पुत्र श्री जान मौहम्मद (हिन्दी विभाग) अपने-आप को छात्र नेता बताते हुए विश्वविद्यालय के शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है, तथा ऐसा कृत्य न करने को समझाने पर अर्मायादित भाषा का प्रयोग कर अनुशासनहीनता करता है। विश्वविद्यालय की शांति व्यवस्था को कई बार भंग करने की कोशिश कर चुका है। समिति द्वारा यह भी संज्ञान लिया गया कि उक्त भूतपूर्व छात्र कई बार विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभागों की परीक्षा में भी बाधा उत्पन्न कर चुका है, इनका यह सब कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। यहाँ यह भी सूच्य है कि, कुलसचिव महोदय द्वारा अग्रसारित भूतपूर्व छात्र शान मौहम्मद के पत्र दिनांक 03.02.2021 में अपने द्वारा की गयी अनुशासनहीनता के बारे में कुलसचिव महोदय से माफी माँगते हुए भविष्य में दोबारा सरकारी कार्य में बाधा ना उत्पन्न करना तथा अभद्र भाषा जैसी अनुशासनहीनता न करने का आश्वासन दिया था साथ ही विभागाध्यक्ष हिन्दी को भी इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 04.03.2021 उपलब्ध कराया था। जिसे समिति ने स्वीकार करते हुए भूतपूर्व छात्र शान मौहम्मद पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की थी। परन्तु कुलसचिव महोदय द्वारा भेजे गये पत्र पत्रांक: पी०ए०/3513, दिनांक 22.03.2021 के अनुसार उक्त भूतपूर्व छात्र अब भी बार-बार शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। उपरोक्त सभी तथ्यों व समस्त अनुशासनहीनताओं का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा सर्व-सम्मति से भूतपूर्व छात्र शान मौहम्मद को भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबन्धित करते हुए

[Handwritten signatures and initials]


विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश को रोकने के लिए उक्त पत्र की एक प्रति थानाध्यक्ष मैडिकल को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण 2 :- विश्वविद्यालय परिसर स्थित हिन्दी विभाग के छात्र हरजीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (एम0ए0 द्वितीय वर्ष, तृतीय सत्र) ने विभाग के कर्मचारी श्री शैलेश जोशी व सुमित तोमर व सुमित के भाई दुष्यन्त तोमर पुत्रगण श्री अशोक पर अपने व अपनी माता के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की हैं, उक्त छात्र ने अपनी शिकायत मुख्यमन्त्री पोर्टल पर करते हुए विपक्षीगण पर पुलिस कार्यवाही करने का आग्रह किया हैं। सन्दर्भित प्रकरण पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित जाँच समिति की एक बैठक में दिनांक 28.01.2021 को दोपहर 02.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय की गयी जिसमें दोनो कर्मचारी उपस्थित हुए और अपना-अपना पक्ष समिति के समक्ष लिखित व मौखिक रूप से प्रस्तुत किया लेकिन छात्र हरजीत सिंह उपस्थित नहीं हुए तथा बैठक के दौरान समिति सदस्य द्वारा फोन करने पर फोन भी नहीं उठाया। समिति द्वारा सर्व-सम्मति से छात्र हरजीत सिंह अपना पक्ष रखने के लिए एक ओर अवसर दिनांक 10.02.2021 को कुलानुशासक कार्यालय के पत्र पत्रांक: कुला0/1328, दिनांक 28.01.2021 द्वारा दिया गया, जिसके सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग के पत्र पत्रांक : हि0वि0/पीबी 346, दिनांक 08.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि छात्र ने उक्त पत्र प्राप्त करने से मना कर दिया था कुलानुशासक कार्यालय के पत्र में दिये गये समय पर उपस्थित नहीं हुआ। सन्दर्भित प्रकरण में छात्र को बार-बार बुलाने पर भी छात्र के उपस्थित न होने के कारण जाँच समिति छात्र की शिकायत पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पायी।

प्रकरण 3 :- परीक्षा अधीक्षक डा0 पी0के0 शर्मा द्वारा अग्रसारित होमगार्ड विनोद व देवेन्द्र कुमार के शिकायती पत्र का संज्ञान लिया गया। सन्दर्भित प्रकरण में सफाई कर्मचारी श्री राजेन्द्र (दैनिक वेतन भौगी) पैसे लेकर राजेश पायलेट छात्रावास की परिधि में गोबर (फोटो संलग्न) पथवा रहा हैं। जिससे वहाँ चल रही विश्वविद्यालय परिसर की परीक्षाएँ बाधित हो रही हैं, इनके इस कृत्य से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को हानि हो रही है, तथा विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही हैं। उक्त कर्मचारी का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हैं। उपरोक्त प्रकरण में समिति द्वारा सर्व सम्मति से उक्त कर्मचारी के खिलाफ जाँच कर विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए संदर्भित पत्र को कुलसचिव महोदय को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।




(डा0 स्वाति सिंह)




(श्री मनी गर्ग)




(डा0 स्वाति शर्मा)




(डा0 योगेन्द्र गौतम)



(डा0 नाजिया तरन्नुम)




(डा0 धमेन्द्र प्रताप सिंह)




(डा0 प्रदीप चौधरी)




(डा0 अशोक कुमार)




(डा० यशवेन्द्र वर्मा)



(डा० दुष्यन्त सिंह चौहान)



(डा0 राहुल कुमार)



(प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी)



(प्रो० वीरपाल सिंह)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-

अनुमोदित



26/3/21



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 28.01.2021

बैठक की कार्यवाही


दिनांक 28.01.2021 को दोपहर 02.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में मा० कुलपति महोदय द्वारा हिन्दी विभाग के छात्र एवं कर्मचारी के बीच हुए विवाद के प्रकरण में गठित जाँच समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे—


- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. प्रो० भूपेन्द्र सिंह | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. प्रो० नवीन चन्द लोहानी | (विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग) |
| 4. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डा० योगेन्द्र कुमार गौतम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 6. डा० स्वाति सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डा० विवेक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. श्री मनी गर्ग | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |


विश्वविद्यालय परिसर स्थित हिन्दी विभाग के छात्र हरजीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (एम०ए० द्वितीय वर्ष, तृतीय सत्र) ने विभाग के कर्मचारी श्री शैलेश जोशी व सुमित तोमर व सुमित के भाई दुष्यन्त तोमर पुत्रगण श्री अशोक पर अपने व अपनी माता के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत IGRS व मा० कुलपति महोदय द्वारा अग्रसारित पत्र दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से की हैं। सन्दिग्ध प्रकरण में कुलानुशासक के पत्र पत्रांक: कुला०/1327, दिनांक 23.01.2021 के माध्यम से दोनो कर्मचारी व शिकायतकर्ता छात्र श्री हरजीत सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 28.01.2021 को दोपहर 02.00 बजे बुलाया गया था, जिसमें दोनो कर्मचारी सुमित तोमर व शैलेश जोशी ने समयानुसार उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष मौखिक व लिखित रूप से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन छात्र श्री हरजीत सिंह समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा बैठक के दौरान जाँच समिति सदस्य द्वारा छात्र श्री हरजीत सिंह को फोन किया लेकिन फोन भी नहीं उठाया। सन्दिग्ध प्रकरण में विभागाध्यक्ष (हिन्दी विभाग) के पत्र पत्रांक: हि०वे०/548 दिनांक 21.11.2020 के माध्यम से कर्मचारी श्री शैलेश जोशी व सुमित तोमर के स्पष्टीकरण तथा समिति के समक्ष मौखिक रूप व


Prkashan
Mansi
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr


लिखित स्पष्टीकरण का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा छात्र श्री हरजीत सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पंक्ष रखने के लिए दिनांक 10.02.2021 को दोपहर 02.30 बजे एक ओर अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया । यदि छात्र श्री हरजीत सिंह दिनांक 10.02.2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए तो अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि व कुछ नहीं कहना चाहते।



(ई० प्रवीण कुमार)
28/01/21



(श्री मनी गर्ग)
28/01/21



(डा सचिन कुमार)
28.1.21



(डा० विवेक कुमार)
28.01.21



(डा० स्वाति सिंह)
28/01/21


(डा० योगेन्द्र गौतम)


(डॉ० दुष्यन्त सिंह चौहान)
28.01.21


(प्रो० नवीन चन्द लोहानी)
28/1/2021


(प्रो० बीरपाल सिंह)
28/01/2021


(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)
28/01/2021

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-

मा० कुलपति जी

कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 29.02.2020


बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 29.02.2020 को दोपहर 12.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. प्रो० जितेन्द्र कुमार | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. डा० राजीव सिजैरिया | (उप० निदेशक, आई०बी०एस० (एस०सी०आर०आई०टी०)) |
| 4. प्रो० रविन्द्र कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डा० नीलू जैन | (समन्वयक, एम०बी०ए० (एच०ए०)) |
| 6. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डॉ० प्रदीप चौधरी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डा० नाजिया तरन्नुम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डा० योगेन्द्र कुमार गौतम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० स्वाति सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 13. डा० विवेक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 14. डा० स्वाति शर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 15. श्री मनी गर्ग | (सहायक कुलानुशासक) |

बैठक में कुलानुशासक कार्यालय से संबंधित निम्न प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया :-


संबंधित प्रकरण दिनांक 22.02.2020 को दोपहर 12.50 बजे के आसपास एम०बी०ए० विभाग के बाहर साइकिल स्टैंड के पास छात्रों के बीच मारपीट के संबन्ध में छात्र वरुण सरोहा पुत्र श्री वीर सिंह (बी०बी०ए०, द्वितीय सेमेस्टर) के द्वारा कुलपति महोदय को प्रेषित पत्र एवम् सन्दर्भित घटना में विभाग के उप-निदेशक की जाँच आख्या में दानो पक्षों के शिकयती पत्रों का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया। सन्दर्भित प्रकरण में निदेशक (एस०सी०आर०आई०टी०) के पत्र दिनांक 25.02.2020 (जोकि कुलानुशासक महोदय को अग्रसारित) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दोनों पक्षों की शिकायत व सी०सी०टी०वी विडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर छात्र आकाश तोमर पुत्र श्री राज बहादुर तोमर बी०बी०ए० (एच०ए०) द्वितीय सेमेस्टर, विशाल बसोया पुत्र श्री राफल सिंह बी०बी०ए० द्वितीय सेमेस्टर, वरुण सरोहा पुत्र श्री वीर सिंह बी०बी०ए० द्वितीय सेमेस्टर एव गौरव चौधरी पुत्र श्री रविन्द्र पाल सिंह बी०बी०ए० द्वितीय सेमेस्टर घटना में चिह्नित हुए हैं, उक्त के आलोक में समिति द्वारा सर्व-सम्मति से उपरोक्त चारों छात्रों को प्रथम दृष्टता दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए संबंधित प्रकरण में 07 दिनों के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण अभिभावक व उप-निदेशक/समन्वयक के माध्यम से कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत करने को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।





(श्री मनी गर्ग)


(ई० प्रवीण कुमार)



(डा० नाजिया तरन्नुम)


(डॉ० दुष्यन्त सिंह चौहान)

(डा० राजीव सिजरिया)


(डा० स्वाति शर्मा)



(डा० स्वाति सिंह)



(डा० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)


(डा० नीलू जैन)



(प्रो० बीरपाल सिंह)


(डा० विवेक कुमार)



(डा० योगेन्द्र गौतम)



(डा० प्रदीप चौधरी)


(प्रो० रविन्द्र कुमार)


(प्रो० जितेन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः


5/3/2020
मा० कुलपति जी


05/03/2020



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 19.11.2019

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 19.11.2019 को दोपहर 12.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. प्रो० जितेन्द्र कुमार | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. प्रो० पी०के० शर्मा | (मुख्य छात्रावास अधीक्षक) |
| 4. प्रो० रविन्द्र कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक, एवं छात्रावास अधीक्षक, डा० के०पी० सिंह छात्रावास) |
| 6. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा | (सहायक कुलानुशासक, एवं अधीक्षक, वीर शिरामणि महाराणा प्रताप छात्रावास) |
| 8. डॉ० सरू कुमारी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डॉ० प्रदीप चौधरी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० योगेन्द्र कुमार गौतम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 13. इन्जीनियर प्रवीण-कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 14. डा० स्वाति सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 15. डा० विवेक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 16. डा० स्वाति शर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 17. श्री मनी गर्ग | (सहायक कुलानुशासक) |
| 18. डा० अशोक सोम | (सहा० प्रशासनिक अधिकारी, सर छोदू राम इन्जी० एवं प्रौद्योगिकी संस्थान) |
| 19. डा० मनोज कुमार श्रीवास्तव | (समन्वयक, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग) |
| 20. डा० मनोज कुमार अग्रवाल | (समन्वयक, वाणिज्य विभाग) |

बैठक में कुलानुशासक कार्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर गहन विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-


प्रकरण 1 :- संबंधित प्रकरण में डा० के०पी० छात्रावास के कमरा न० 39 रह रहे छात्र देवन्द्र कुमार वार्ष्णेय (बी०टेक०, कैमिकल इन्जीनीयरिंग, द्वितीय वर्ष) के द्वारा कुलानुशासक महोदय को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 16.11.2019 का संज्ञान लिया गया। छात्र देवेन्द्र कुमार वार्ष्णेय का यह शिकायती पत्र वीर शिरामणि महाराणा प्रताप छात्रावास में रह रहें छात्र दिवाकर राणा (एम०एस०सी० कृषि कीट विज्ञान, द्वितीय वर्ष) द्वारा छात्र अक्षय बैसला (बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष) एवं बाहरी व्यक्ति कार्तिक जिन्दल के साथ मिलकर सन्दर्भित छात्र देवेन्द्र कुमार वार्ष्णेय (बी०टेक०, कैमिकल इन्जीनीयरिंग, द्वितीय वर्ष) के साथ छात्र दिवाकर राणा के छात्रावास के आंक्टित कक्ष में अनुशासनहीनता की घटना के सम्बन्ध में है। जिसमें छात्र देवेन्द्र कुमार वार्ष्णेय द्वारा छात्र दिवाकर राणा, अक्षय बैसला एवं कार्तिक जिन्दल पर उसे बन्धक बनाकर मारपीट करना तमचे दिखाना एवं टॉर्चर करने जैसे आरोप लगाये हैं। उपरोक्त तीनों आरोपित छात्रों का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। छात्र देवन्द्र कुमार वार्ष्णेय के शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए अनुशासन समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से उपरोक्त आरोपित छात्र दिवाकर राणा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए संबंधित प्रकरण में अपना स्पष्टीकरण समन्वयक के माध्यम से 07 कार्यालय दिवसों के अन्दर कुलानुशासक कार्यालय में जमा कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही समन्वयक, जनसंचार एवं पत्रकारिता द्वारा आरोपित छात्र अक्षय बैसला को इस शैक्षणिक सत्र में विभाग का ना होना बताया गया। अतः अनुशासन समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से घटना में आरोपित बाहरी व्यक्ति अक्षय बैसला एवं कार्तिक जिन्दल को विश्वविद्यालय परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रवेश प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की अग्रिम जाँच एवं निलम्बित छात्र से प्राप्त स्पष्टीकरण के उपरान्त लिया जायेगा।


Scat
Pratim
Wishu
AK
RL
Mai
M-i
PKE


प्रकरण 2 :- संबधित प्रकरण में, भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान पुत्र श्री भोपाल सिंह के प्रत्यावेदन दिनांक 18.11.2019 का संज्ञान लिया गया, जिसमें आदेश कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी पत्र पत्रांक : कुला0/1270, दिनांक 23.10.2019 में लिये गये निर्णय में उनका विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिये जाने के निर्णय को समाप्त करने का निवेदन किया है। भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार के भविष्य को ध्यान में रखकर उनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान का नाम विश्वविद्यालय की अनुशासनात्म कार्यवाही सूची से हटाते हुए नियमानुसार परिसर में संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश ना देने के निर्णय को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।


प्रकरण 3 :- संबधित प्रकरण में भूतपूर्व छात्र छात्र सुबोध तोगड़ (बी0जे0एम0सी0 द्वितीय वर्ष) के प्रत्यावेदन दिनांक 18.11.2019 एवं समन्वय, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग द्वारा कुलानुशासक कार्यालय में प्राप्त कराये गये पत्र पत्रांक : जेएमसी/पीबी/2096 का संज्ञान लिया गया। उक्त पत्र के अनुसार दिनांक 05.10.2018 दो गुटो में मारपीट के प्रकरण में एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था। एक वर्ष पूर्ण होने पर छात्र सुबोध तोगड़ द्वारा अपनी बहाली के लिए एक प्रार्थना-पत्र विभाग द्वारा अग्रसारित कर कुलानुशासक कार्यालय में उपलब्ध कराया है। छात्र सुबोध तोगड़ भविष्य को ध्यान में रखकर छात्र द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन एवं विभाग द्वारा प्राप्त कराये गये पत्र का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से निष्कासन से बहाल करते हुए विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबधित सूची से हटाने का निर्णय लिया गया।


प्रकरण 4 :- संबधित प्रकरण में समन्वयक वाणिज्य विभाग के पत्रांक: 402/2019 दिनांक 05.11.2019 एवं पत्रांक 504, दिनांक 18.11.2019 का संज्ञान लिया गया। सन्दर्भित प्रकरण में विश्वविद्यालय के पत्रांक कुला0/1269, दिनांक 23.10.2019 के द्वारा वाणिज्य विभाग में अध्ययनरत छात्रा निक्की चौधरी के शिकायती पत्र के क्रम में वाणिज्य विभाग के दो छात्रो, वकार अहमद (बी0कॉम आर्नस, प्रथम वर्ष) एवं छात्र तरंग कुमार (बी0कॉम आर्नस, प्रथम वर्ष) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए प्रकरण में स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया गया था। समन्वयक की आख्या पत्रांक 405, दिनांक 18.11.2019, छात्रो के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं छात्रा एवं उसके अभिवावको के द्वारा शिकायत वापस लेने एवं कोई अग्रिम कार्यवाही न करने के आलोक में अनुशासन समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से दोनो छात्रो (वकार अहमद एवं तरंग कुमार) का निलम्बन समाप्त करने का निर्णय लिया गया।



(डा0 मनोज कुमार श्रीवास्तव)



(श्री मनी गर्ग)



(डा0 विवेक कुमार)


(डा0 धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)



(डा0 यशवेन्द्र वर्मा)



(प्रो0 रविन्द्र कुमार)


(प्रो0 जितेन्द्र कुमार)



(डा0 अशोक सोम)



(डा0 स्वाति शर्मा)


(डा0 योगेन्द्र गौतम)



(डा0 प्रदीप चौधरी)



(डा0 अशोक कुमार)



(प्रो0 पी0 के0 शर्मा)



(डा0 स्वाति सिंह)


(ई0 प्रवीण कुमार)



(डा0 सचिन कुमार)


(डा0 सख कुमारी)


(डा0 दुष्यन्त सिंह चौहान)


(प्रो0 वीरपाल सिंह)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:


मा0 कुलपति जी



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 27.08.2019

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 27.08.2019 को दोपहर 12.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. प्रो० जितेन्द्र कुमार | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. डा० राजीव सिजेरिया | (डिप्टी डायरेक्टर एम०बी०ए०, विशेष आमन्त्रित सदस्य) |
| 4. डा० विवेक कुमार | (समन्वयक, विधि विभाग, विशेष आमन्त्रित सदस्य) |
| 5. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक एवं छात्रावास अधीक्षक) |
| 6. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डॉ० सरू कुमारी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डॉ० प्रदीप चौधरी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० नाजिया तरन्नुम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 13. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 14. डा० अर्चना त्रिवेदी | (सहायक कुलानुशासक) |

बैठक में कुलानुशासक कार्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये :-

प्रकरण 1 :- संबंधित प्रकरण में छात्र गौरव कुमार (एम०ए० द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग) एवं छात्र देवराज सिराधना (एम०ए० द्वितीय वर्ष, अग्रेजी विभाग) के द्वारा कुलपति महोदय को प्रेषित पत्र एवम् सन्दर्भित घटना में थाना मैडिकल में दर्ज प्राथमिकी (FIR सं० 0626 दिनांक 26.08.2019) का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया। सन्दर्भित घटना में इन छात्रों ने एम०बी०ए० विभाग के छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला (बी०बी०ए०), छात्र अक्षांश राणा (बी०बी०ए०) तथा कादिर बडढा, भूतपूर्व छात्र, बी०जे०एम०सी० पर दिनांक 26.08.2019 को लगभग दोपहर 01.30 बजे अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर परिसर स्थित कैंटीन में खाना खाते समय अश्रद्धा कर कटटा व पिस्टल तानने एवं गाली देते हुए फायर करने जैसी अनुशासनहीनता की घटना करना बताया गया है। समिति द्वारा घटना से संबंधित घटना स्थल की विडियो फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें एम०बी०ए० विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एवं शिक्षक की सहायता से घटना में आरोपित छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला की पहचान कर घटना में सम्मिलित होने की पुष्टि की गयी। साथ ही विभाग के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा घटना में आरोपित छात्र अक्षांश राणा नाम के किसी छात्र का विभाग का छात्र न होना बताया गया है। घटना की गम्भीरता की देखते हुए, एवं छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला को पूर्व में भी अनुशासनहीनता की घटनाओं में सम्मिलित होने का संज्ञान लेते हुए, समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से घटना में आरोपित छात्र आशीष सरोहा

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

उर्फ आशु काजला. को तत्काल प्रभाव निलम्बित करते हुए संबधित प्रकरण में 10 दिनों के अन्दर, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही घटना में आरोपित कादिर बडढा (राजपूत) पूर्व छात्र बी0जे0एम0सी0 का तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया गया। घटना में आरोपित छात्र अक्षांश राना व अन्य छात्रों की पहचान न होने के कारण अग्रिम अनुशानात्मक कार्यवाही संबधित प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में पुलिस जाँच के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण 2 :- संबधित प्रकरण में छात्र गौरव मावी को विश्वविद्यालय प्रशासन के पत्रांक कुला0/1209, दिनांक 08.02.2019 के द्वारा दिनांक 04.01.2019 को विधि अध्ययन विभाग की अनाधिकृत रूप से विडियो अपलोड करने की घटना में आरोपी होने एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक : कुला/1208, दिनांक 08.01.2019 से संदिग्धत स्पष्टीकरण न देने पर विश्वविद्यालय से रेस्टिकेट करते हुए प्रवेश प्रतिबन्धित किया गया था। छात्र गौरव मावी पुत्र श्री अनार सिंह (विधि विभाग) के प्रत्यावेदन दिनांक 07.08.2019 जो कि मा0 कुलपति महोदय द्वारा कुलानुशासक को अग्रसारित है, का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

संबधित प्रत्यावेदन में छात्र गौरव मावी द्वारा दिनांक 04.01.2019 की घटना को भूलवश व गलती से होना बताया है, साथ ही गलती मानते हुए भविष्य में ऐसी गलती न करने का शपथ-पत्र भी संलग्न किया है। छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से छात्र गौरव मावी को भविष्य में ऐसी अनुशासनहीनता न करने की चेतावनी देते हुए, विश्वविद्यालय के पत्रांक: कुला0/1209, दिनांक 08.02.2019 के द्वारा किये गये रेस्टिकेशन को समाप्त करते हुए विश्वविद्यालय परिसर प्रवेश प्रतिबन्धित को बहाल करने का निर्णय लिया गया है

प्रकरण 3 :- संबधित प्रकरण में डा0 देवेन्द्र कुमार, शोध अध्येता, राजनीति विज्ञान विभाग, के प्रत्यावेदन दिनांक 10.08.2019 का संज्ञान लिया गया। संबधित प्रकरण, डा0 देवेन्द्र कुमार द्वारा उनका नाम चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही की छात्रों की सूची में दर्ज नाम को सुधार करने के सम्बन्ध में है। संबधित प्रकरण में डा0 देवेन्द्र कुमार उर्फ देवेन्द्र उज्जवल को तत्कालीन विभागाध्यक्ष एवं तत्कालीन कुलपति की संस्तुति के द्वारा उनका निलम्बन समाप्त किया गया था, साथ ही सूच्य है कि मा0 न्यायालय द्वारा भी डा0 देवेन्द्र कुमार उर्फ देवेन्द्र उज्जवल को दोषमुक्त कर दिया गया है। समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से डा0 देवेन्द्र कुमार उर्फ देवेन्द्र उज्जवल को नाम विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही की सूची से हटाकर सूची सुधार करने का निर्णय लिया गया।

Acharya
(डा0 अचरना त्रिवेदी)

Ser.
(ई0 प्रवीण कुमार)

NT
(डा0 नमजिया तरन्नुम)

Sachin
(डा सचिन कुमार)

Pratap
(डा0 धर्मेन्द्र प्रताप)

Pradeep
(डा0 प्रदीप चौधरी)

Saru
(डा0 सरू कुमारी)

Yashveer
(डाँ0 यशवेन्द्र वर्मा)

Ashok
(डा0 अशोक कुमार)

Dushyant
(डाँ0 दुष्यन्त सिंह चौहान)

Vivek
(डा0 विवेक कुमार)

Rajiv
(डा0 राजीव सिजेरिया)

Jitendra
(प्रो0 जितेन्द्र सिंह)

Jitendra
(प्रो0 जितेन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-

Ji
मा0 कुलपति जी

To be seen by the Honourable Vice-Chancellor.

NT
28/8/19



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 18.10.2019

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 18.10.2019 को दोपहर 02.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. प्रो० जितेन्द्र कुमार | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. डा० मनोज कुमार अग्रवाल | (समन्वयक वाणिज्य विभाग) |
| 4. प्रो० रविन्द्र कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक) |
| 6. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डॉ० सरू कुमारी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डॉ० प्रदीप चौधरी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० नाजिया तरन्नुम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 13. डा० योगेन्द्र कुमार गौतम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 14. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 15. डा० स्वाति सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 16. डा० विवेक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 17. डा० स्वाति शर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 18. श्री मनी गर्ग | (सहायक कुलानुशासक) |

बैठक में कुलानुशासक कार्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर गहन विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

प्रकरण 1 :- संबंधित प्रकरण में छात्र गौरव कुमार (एम०ए० द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग) एवं छात्र देवराज सिराधना (एम०ए० द्वितीय वर्ष, अग्रेजी विभाग) के द्वारा कुलपति महोदय को प्रेषित पत्र एवम् सन्दर्भित घटना में थाना मैडिकल में दर्ज प्राथमिकी (FIR स० 0626 दिनांक 26.08.2019) इन छात्रों ने एम०बी०ए० विभाग के छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला छात्र बी०बी०ए०, अक्षांश राणा तथा कादिर बड्ढा, भूतपूर्व छात्र, (बी०जे०एम०सी०) पर दिनांक 26.08.2019 को लगभग दोपहर 01.30 बजे अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर परिसर स्थित कैन्टीन में खाना खाते समय अभद्रता कर कटटा व पिस्टल तानने एवं गाली देते हुए फायर करने जैसी अनुशासनहीनता की घटना करना बताया गया है। समिति द्वारा घटना से संबंधित घटना स्थल की विडियो फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें एम०बी०ए० विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एवं शिक्षक की सहायता से घटना में आरोपित छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला की पहचान कर घटना में सम्मिलित होने की पुष्टि की गयी। अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 27.08.2019 द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से घटना में आरोपित छात्र आशीष सरोहा उर्फ आशु काजला को तत्काल प्रभाव निलम्बित करते हुए संबंधित प्रकरण में विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक कुला०/1251, दिनांक 28.08.2019 के माध्यम से 10 दिनों के अन्दर, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण कुलानुशासक

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। जिसके सापेक्ष आरोपित छात्र आशु काजला ने आज दिनांक 18.10.2019 तक भी अपनी स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में जमा नहीं किया है। छात्र गौरव कुमार (एम0ए0 द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग) ने पूर्व में आरोपित छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला पर पुनः थाना मैडिकल में दर्ज द्वितीय प्राथमिकी FIR स0 0629 दिनांक 28.08.2019 में अपने अन्य साथियों सहित पुनः जानलेवा हमला व जान से मारने की नियत से फायर करना बताया गया है। छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला द्वारा बार-बार अनुशासनहीनता की घटना में शामिल होने एवं संबंधित घटनाओं में दर्ज प्राथमिकियों (FIR's) की गम्भीरता को देखते हुए अनुशासन समिति द्वारा सर्व सम्मति से एम0बी0ए0 विभाग के आरोपित छात्र आशु सरोहा उर्फ आशु काजला (बी0बी0ए0), को तत्काल प्रभाव से रेस्ट्रिकेट करते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया गया।


प्रकरण 2 :- संबंधित प्रकरण में छात्रा निक्की चौधरी, बी0कॉम प्रथम वर्ष के शिकायती पत्र दिनांक 17.10.2019 जो कि समन्वयक, वाणिज्य विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित है, का संज्ञान लिया गया। संबंधित प्रकरण में छात्रा द्वारा बी0कॉम आनर्स के दो छात्रों वकार अहमद (बी0कॉम0 आर्नस, प्रथम वर्ष) व तरंग कुमार (बी0कॉम0 आर्नस, प्रथम वर्ष) द्वारा परेशान करना व फोन पर मैसेज व धमकी देना बताया गया। उपरोक्त दोनो आरोपित छात्रो का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। छात्रा निक्की चौधरी के शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए अनुशासन समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से उपरोक्त दोनो आरोपित छात्रो को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए संबंधित प्रकरण में अपना स्पष्टीकरण समन्वयक के माध्यम से 05 कार्यालय दिवसों के अन्दर कुलानुशासक कार्यालय में जमा कराने का निर्णय लिया गया। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी।


प्रकरण 3 :- संबंधित प्रकरण में, भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान पुत्र श्री भोपाल सिंह के प्रत्यावेदन दिनांक 30.04.2019, 20.05.2019 (जो कि मा0 कुलपति जी द्वारा अग्रसारित है) एवं दिनांक 16.10.2019 का संज्ञान लिया गया। संबंधित प्रकरण, भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान द्वारा उनका नाम चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही की छात्रो की सूची में दर्ज नाम को हटाने के सम्बन्ध में है। संबंधित प्रकरण में भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान द्वारा उक्त घटना के वादी व पीड़ित ने भी घटना से संबंधित मुकदमे में भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान के सम्मिलत न होने से संबंधित शपथ-पत्र दिया है, जिसमें भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान को कथित घटना दिनांक 15.07.2017 में शामिल होना नकारा है। भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान के भविष्य को ध्यान में रखकर उनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान का नाम विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रवेश प्रतिबंधित सूची से हटाने निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भूतपूर्व छात्र आदेश कुमार उर्फ आदेश प्रधान को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।


प्रकरण 4 :- संबंधित प्रकरण में भूतपूर्व छात्र शुभम कसाना उर्फ लव कसाना विधि विभाग में दिनांक 24.12.2013 की फ्रेशर पार्टी में हुई मारपीट एवं अवैध अथियारो से फायरिंग की घटना में तत्काल प्रभाव से रेस्ट्रिकेट करते हुए परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित है। संबंधित प्रकरण में, भूतपूर्व छात्र शुभम कसाना उर्फ लव कसाना पुत्र श्री सुधीर कसाना के प्रत्यावेदन दिनांक 11.09.2019, (जो मा0 कुलपति जी द्वारा कुलानुशासक को अग्रसारित है) का संज्ञान लिया गया। संबंधित प्रकरण, भूतपूर्व छात्र शुभम कसाना उर्फ लव कसाना द्वारा उनका नाम चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रवेश प्रतिबंधित सूची में दर्ज उनके नाम को हटाने के सम्बन्ध में है। उक्त छात्र के प्रत्यावेदन अनुसार छात्र का नाम उक्त प्रकरण में असमाजिक तत्वों के कारण उक्त छात्र के नाम मुकदमा हो गया था। भूतपूर्व छात्र शुभम कसाना उर्फ लव कसाना के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से भूतपूर्व शुभम कसाना उर्फ लव कसाना का नाम विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रवेश प्रतिबंधित सूची से हटाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भूतपूर्व छात्र शुभम कसाना उर्फ लव कसाना को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sudhakar', 'Rohit', 'Rohan', 'NT', and 'Khan'.


प्रकरण 5 :- संबंधित प्रकरण में भूतपूर्व छात्र डा0 बालेश कर्दम, भूगोल विभाग को कुलपति कार्यालय में दिनांक 16.04.2012 को दोपहर 01.30 बजे की अनुशासनात्मक कार्यवाही की घटना (सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना) के सम्बन्ध में चैतावनी एवे जिला प्रशासन के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित गया था। संबंधित प्रकरण में, भूतपूर्व छात्र डा0 बालेश कर्दम, के मा0 कुलपति द्वारा अग्रसारित पत्र प्रत्यावेदन दिनांक 04.09.2019 का संज्ञान लिया गया। संबंधित प्रकरण में उनका नाम चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रवेश प्रतिबन्धित छात्रों की सूची में दर्ज नाम को हटाने के सम्बन्ध में है। भूतपूर्व छात्र डा0 बालेश कर्दम के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से भूतपूर्व डा0 बालेश कर्दम का नाम विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रवेश प्रतिबन्धित की सूची से हटाकर सूची हटाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भूतपूर्व छात्र डा0 बालेश कर्दम को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।



(डा0 स्वाति सिंह)



(श्री मनी गर्ग)



(डा0 स्वाति शर्मा)


(ई0 प्रवीण कुमार) 18/10/19



(ई0 विवेक कुमार)


(डा0 योगेन्द्र गौतम)



(डा0 सचिन कुमार)



(डा0 नाजिया तरनुम)


(डा0 धमेन्द्र प्रताप सिंह)



(डा0 प्रदीप चौधरी)


(डा0 सरू कुमारी)


(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)


(डा0 अशोक कुमार)


(डॉ० दुष्यन्त सिंह चौहान)



(प्रो0 रविन्द्र कुमार)


(डा0 मनोज कुमार अग्रवाल)



(प्रो0 बीशमल सिंह)


(प्रो0 जितेन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-



मा0 कुलपति जी


23.10.19



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 13.06.2019

बैठक की कार्यवाही


दिनांक 13.06.2019 को दोपहर 01.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. प्रो० जितेन्द्र कुमार | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. प्रो० पी०के० शर्मा | (मुख्य छात्रावास अधीक्षक) |
| 4. प्रो० रविन्द्र कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डा० राजीव सिजेरिया, | (डिप्टी डायरेक्टर एवं समन्वयक एम०बी०ए०) |
| 6. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक एवं छात्रावास अधीक्षक, डा० के०पी० छात्रावास) |
| 7. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डॉ० सरू कुमारी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डॉ० प्रदीप चौधरी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 13. डा० अशोक कुमार सोम | (सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एस०सी०आर०आई०ई०टी०) |
| 14. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 15. डा० अर्चना त्रिवेदी | (सहायक कुलानुशासक) |


दिनांक 22.05.2019 की रात्रि 08 बजे छात्र आशीष सरोहा उर्फ आशु काजला पुत्र श्री प्रदीप सरोहा, बी०बी०ए० प्रथम वर्ष व बादल दूहन पुत्र श्री संजीव दूहन, बी०बी०ए० प्रथम वर्ष द्वारा सर छोटू राम इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के छात्र श्री रजत वर्मा, बी०टेक०, सी०एच०ई० द्वितीय वर्ष के साथ के०पी० छात्रावास, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय में खाना खाते समय हुई मारपीट, जानलेवा हमले व जान से मारने की धमकी के सम्वन्ध में की दर्ज थाना मैडिकल में प्राथमिकी FIR स० 0347 दिनांक 24.05.2019, छात्र रजत वर्मा द्वारा प्राप्त कराया गया शिकायत पत्र दिनांक 23.05.2019 एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा दिनांक 28.05.2019 को अग्रसारित पत्रों के माध्यम से छात्र बादल दूहन ने अपने स्पष्टीकरण में क्षमा की माँग की है तथा छात्र बादल दूहन की माताजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से चीफ वार्डन एवं वार्डन के सम्मुख उपस्थित होकर एक क्षमा याचना पत्र प्राप्त कराया है और भविष्य में अपने पुत्र के किसी भी अनुशासनहीनता में संलिप्त नही होने का व्यक्तिगत आश्वासन भी दिया है। छात्र आशीष


(Handwritten signatures and initials)


सरोहा उर्फ आशु काजला ने स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उसने घटना में सलिप्तता को स्वीकार किया है और भविष्य में किसी भी अनुशासनहीनता में सलिप्त न होने का आश्वासन दिया है। परन्तु अपने माता या पिता किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर आये। पूर्व में भी छात्र आशीष सरोहा उर्फ आशु काजला के कक्ष में बाहरी व्यक्ति पाये गये थे और वार्डन द्वारा उनको कई बार मौखिक चेतावनी भी दी थी। छात्रावास अधीक्षक, डा0 के0पी0 छात्रावास द्वारा उक्त दोनो छात्रो को प्राप्त कराये गये पत्र दिनांक 23.05.2019 का भी संज्ञान लिखा गया। समुचित विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बादल दूहून पुत्र श्री संजीव दूहून, बी0बी0ए0 प्रथम वर्ष की मैस की आभूत राशि जक्त की जाए और अन्तिम चेतावनी के साथ माफ कर दिया जाए। तथा छात्र आशीष सरोहा उर्फ आशु काजला पुत्र श्री प्रदीप सरोहा, बी0बी0ए0 प्रथम वर्ष को भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर की छात्रावास सुविधा से वंचित कर सभी छात्रावास में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाए। भविष्य में उक्त दोनो छात्र विश्वविद्यालय में किसी भी अनुशासनहीनता में सलिप्त पाये जाते है तो विश्वविद्यालय से प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।


(डा0 अर्चना त्रिवेदी)



13.6.19
(डा सचिन कुमार)



(डा0 सरु कुमारी)



(डाँ0 दुष्कन्त सिंह चौहान)


13.6.19
(डा0 पी0 के0 शर्मा)


(ई0 प्रवीण कुमार)


(डा0 धमेन्द्र प्रताप सिंह)



(डाँ0 यशवेन्द्र वर्मा)



(डा0 राजीव सिजरिया)



13/6/19
(प्रो0 बीरप्रेम सिंह)


(डा0 अशोक कुमार सोम)


(डा0 प्रदीप चौधरी)


(डा0 अशोक कुमार)


(प्रो0 रविन्द्र कुमार)


(प्रो0 जितेन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-

मा0 कुलपति जी
13/6/19

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ - 250005

विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 26-03-19 पी0 ए0/ 1596 व DBGH/2018 दिनांक 01-04-19 के अनुपालन में दिनांक 02-04-19 को वि0 वि0 प्रशासन द्वारा अन्य छात्राओं सहित मीना पटेल को सामान सहित छात्रावास से अबैध कब्जा छुड़ाकर, सामान ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादकर मीना पटेल एवं उसके भाई के दोस्त श्री अनुपम सिंह S/O श्री महावीर सिंह को सुपुर्द कर दिया गया था। श्री अनुपम ने सामान की प्राप्ति भी कर ली थी। परन्तु मीना पटेल के हंगामें व विविध प्रकार के बहाने, आदि करने के कारण वह सामान, को बाद में लेकर जाने की कहने लगे। इसी बीच वि0 वि0 प्रशासन ने मीना द्वारा तबियत खराब बताए जाने के कारण मेडिकल अस्पताल भी भिजवाया। आज दिनांक 04-04-19 के अपराह्न 1:00 बजे तक इंतजार किया गया कि वह अपना सामान सुरक्षित रूप से वि0 वि0 से ले जाए। परन्तु मीना पटेल अथवा उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति सामान लेने के लिए नहीं आया। अतः सामान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वि0 वि0 प्रशासन/अधीकारियों ने उसके समस्त सामान को रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास के एक कमरे में सुरक्षित कर सील कर रख दिया और यह निर्णय लिया कि जब भी मीना पटेल या उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार या सम्बन्धी सामान लेने आए तो उसे सकुशल माननीय कुलपति जी द्वारा गठित कमेटी के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में समस्त सामान सुपुर्द कर दिया जाए एवं इस प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी करा ली जाए।

P Tyagi
4.4.19

प्रो0 प्रतिभा त्यागी
(अधीक्षिका, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास)

04/04/19

प्रो0 अल्पना अग्रवाल
(सहा0 अधीक्षिका, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास)

04/04/2019
प्रो0 अर्चना
(अधीक्षिका, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास)

04/04/2019
प्रो0 वीर प्रेम सिंह
(मुख्याकुलानुशासक)

4/4/19
मनीज कुमार
(अवर अभियन्ता)

04/04/19
प्रो0 आलोक कुमार
(विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र)

04-04-19
डा0 अर्चना त्रिवेदी

(सहा0 अधीक्षिका, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास)

04-4-19
प्रो0 पी0 के0 शर्मा
(मुख्याधीक्षक छात्रावास)

04/04/19
प्रो0 जयमाला
(समन्वयक, महिला प्रकोष्ठ)

4.4.19
प्रो0 जितेन्द्र कुमार
(छात्र कल्याण अधिष्ठाता)

For kind-approval and approval of Hon'ble Vice Chancellor

Copy to :

1. DSW
2. Proctor
3. Warden, DBGH
4. Office of Chief Warden

Approved
(V.C.)
04.4.19



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 29.04.2019

बैठक की कार्यवाही

दिनांक 27.04.2019 को दोपहर 01.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे—

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. प्रो० जितेन्द्र कुमार | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. प्रो० रविन्द्र कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 4. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डॉ० सरू कुमारी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डॉ० प्रदीप कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डॉ० नाजिया तरन्नुम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० अशोक कुमार सोम | (सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एस०सी०आर०आई०ई०टी०) |
| 13. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 14. डा० अर्चना त्रिवेदी | (सहायक कुलानुशासक) |

दिनांक 24.04.2019 को सर छोटू राम इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान में एम०बी०ए० के छात्र श्री अनुज कुमार छोकर के साथ हुई मारपीट एवं दिनांक 25.04.2019 को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव श्री बी०पी० कौशल एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं परीक्षा का कार्य कर रही कम्पनी के प्रबन्धक श्री नितिन द्विवेदी के साथ मंगल पाण्डे नगर स्थित एक रेस्टोरेन्ट के बाहर हुई मारपीट एवं जानलेवा हमले के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये—

01. दिनांक 24.04.2019 को सर छोटू राम इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान में (एम०बी०ए०, ~~प्रथम~~ द्वितीय वर्ष) के छात्र श्री अनुज कुमार छोकर के साथ हुयी मारपीट के सम्बन्ध में संस्थान की अनुशासन समिति की बैठक की कार्यवाही पत्रांक: SCR/2019 दिनांक 25.04.2019 एवं सम्बन्धित प्रकरण में थाना मैडिकल में दर्ज प्राथमिकी न० 0243 दिनांक 25.04.2019 को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया गया कि झगड़े में शामिल तीन छात्रों जिनके नाम (रोबिन चौधरी, चेतन राठी, व अभिषेक चौधरी (बाफर) सभी बी०बी०ए०, एच०ए० प्रथम वर्ष छात्र, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है) को तत्काल प्रभाव से पुलिस जाँच होने तक निलम्बित किया जाए। प्रकरण में अंतिम निर्णय पुलिस जाँच की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाये। साथ ही संस्थान से

आयी आख्या के अनुसार छात्र दिव्याशु भी झगड़े में शामिल था अतः छात्र दिव्याशु को भी कारण बताओ नोटिस देने का निर्णय लिया गया।


02. संस्थान की रिपोर्ट पत्रांक: SCR/-/2019 दिनांक 25.04.2019 के अनुसार उपरोक्त झगड़े में संस्थान के कर्मचारी श्री मनोज त्यागी के द्वारा भी संस्थान के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला संज्ञान में आया है के सम्बन्ध में संस्थान अपने स्तर पर उक्त प्रकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

03. कुलसचिव श्री वी०पी० कौशल एवं श्री नितिन द्विवेदी (कम्पनी डायरेक्टर, प्रवेश एवं परीक्षा) के साथ 25.04.2019 की रात्रि में हुई मारपीट के सम्बन्ध में कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा दिये गये ज्ञापन एवं प्रकरण में दर्ज थाना मैडिकल में प्राथमिकी FIR स० 0248 दिनांक 26.04.2019 का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में घटित यह घटना एवं पूर्व में घटित घटनाओं में शामिल छात्रों पर हुई कार्यवाही में जिन छात्रों का विश्वविद्यालय प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया था उन सभी छात्रों की सूची पुलिस को प्रेषित की जाये। प्रतिबन्धित छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों में किसी भी पाठ्यक्रम में भविष्य में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जाये। कुलसचिव श्री वी०पी० कौशल के साथ मारपीट प्रकरण में यदि छात्रों की पहचान परिसर एवं महाविद्यालय में पंजीकृत के रूप में हुई तो उनका भी प्रवेश विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में भविष्य के लिए प्रतिबन्धित रहेगा। साथ ही साथ भविष्य में भी किसी छात्र का घटना में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जायेगा तो उस पर भी विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों के किसी भी पाठ्यक्रम में भविष्य के लिए प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(डा० अर्चना त्रिवेदी)



(डा सचिन कुमार)



(डा० प्रदीप कुमार)




(डा० अशोक कुमार)




(प्रो० वीष्णुपाल सिंह)


(ई० प्रवीण कुमार)




(डा० नाजिया तरनुम)




(डा० सरु कुमारी)




(डा० सुखन्त सिंह चौहान)




(प्रो० जितेन्द्र कुमार)




(डा० अशोक कुमार सोम)



(डा० धमेन्द्र प्रताप सिंह)



(डा० यशवेन्द्र वर्मा)



(प्रो० रविन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-

मा० कुलपति जी



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 29.04.2019

बैठक की कार्यवाही

दिनांक 27.04.2019 को दोपहर 01.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे—

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. प्रो० जितेन्द्र कुमार | (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह | (कुलानुशासक) |
| 3. प्रो० रविन्द्र कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 4. डा० दुष्यन्त सिंह चौहान | (सहायक कुलानुशासक) |
| 5. डॉ० अशोक कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा | (सहायक कुलानुशासक) |
| 7. डॉ० सरू कुमारी | (सहायक कुलानुशासक) |
| 8. डॉ० प्रदीप कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 9. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह | (सहायक कुलानुशासक) |
| 10. डॉ० नाजिया तरन्नुम | (सहायक कुलानुशासक) |
| 11. डा० सचिन कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 12. डा० अशोक कुमार सोम | (सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एस०सी०आर०आई०ई०टी०) |
| 13. इन्जीनियर प्रवीण कुमार | (सहायक कुलानुशासक) |
| 14. डा० अर्चना त्रिवेदी | (सहायक कुलानुशासक) |

दिनांक 24.04.2019 को सर छोटू राम इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान में एम०बी०ए० के छात्र श्री अनुज कुमार छोकर के साथ हुई मारपीट एवं दिनांक 25.04.2019 को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव श्री बी०पी० कौशल एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं परीक्षा का कार्य कर रही कम्पनी के प्रबन्धक श्री नितिन द्विवेदी के साथ मंगल पाण्डे नगर स्थित एक रेस्टोरेन्ट के बाहर हुई मारपीट एवं जानलेवा हमले के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

01. दिनांक 24.04.2019 को सर छोटू राम इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान में (एम०बी०ए०, ~~प्रथम~~ द्वितीय वर्ष) के छात्र श्री अनुज कुमार छोकर के साथ हुयी मारपीट के सम्बन्ध में संस्थान की अनुशासन समिति की बैठक की कार्यवाही पत्रांक: SCR/2019 दिनांक 25.04.2019 एवं सम्बन्धित प्रकरण में थाना मैडिकल में दर्ज प्राथमिकी न० 0243 दिनांक 25.04.2019 को संज्ञान में लेते हुये निर्णय लिया गया कि झगड़े में शामिल तीन छात्रों जिनके नाम (रोबिन चौधरी, चेतन राठी, व अभिषेक चौधरी (बाफर) सभी बी०बी०ए०, एच०ए० प्रथम वर्ष छात्र, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है) को तत्काल प्रभाव से पुलिस जाँच होने तक निलम्बित किया जाए। प्रकरण में अंतिम निर्णय पुलिस जाँच की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाये। साथ ही संस्थान से

आयी आख्या के अनुसार छात्र दिव्याशु भी झगड़े में शामिल था अतः छात्र दिव्याशु को भी कारण बताओ नोटिस देने का निर्णय लिया गया।

02. संस्थान की रिपोर्ट यत्रांक: SCR/—/2019 दिनांक 25.04.2019 के अनुसार उपरोक्त झगड़े में संस्थान के कर्मचारी श्री मनोज त्यागी के द्वारा भी संस्थान के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला संज्ञान में आया है के सम्बन्ध में संस्थान अपने स्तर पर उक्त प्रकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
03. कुलसचिव श्री वी०पी० कौशल एवं श्री नितिन द्विवेदी (कम्पनी डायरेक्टर, प्रवेश एवं परीक्षा) के साथ 25.04.2019 की रात्रि में हुई मारपीट के सम्बन्ध में कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा दिये गये ज्ञापन एवं प्रकरण में दर्ज थाना मैडिकल में प्राथमिकी FIR स० 0248 दिनांक 26.04.2019 का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में घटित यह घटना एवं पूर्व में घटित घटनाओं में शामिल छात्रों पर हुई कार्यवाही में जिन छात्रों का विश्वविद्यालय प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया था उन सभी छात्रों की सूची पुलिस को प्रेषित की जाये। प्रतिबन्धित छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों में किसी भी पाठ्यक्रम में भविष्य में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जाये। कुलसचिव श्री वी०पी० कौशल के साथ मारपीट प्रकरण में यदि छात्रों की पहचान परिसर एवं महाविद्यालय में पंजीकृत के रूप में हुई तो उनका भी प्रवेश विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में भविष्य के लिए प्रतिबन्धित रहेगा। साथ ही साथ भविष्य में भी किसी छात्र का घटना में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जायेगा तो उस पर भी विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों के किसी भी पाठ्यक्रम में भविष्य के लिए प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(डा० अर्चना त्रिवेदी)

(डा सचिन कुमार)

(डा० प्रदीप कुमार)

(डा० अशोक कुमार)

(प्रो० बोम्माल सिंह)

(ई० प्रवीण कुमार)

(डा० नाजिआ तरन्नुम)

(डा० सरू कुमारी)

(डॉ० सुशान्त सिंह चौहान)

(प्रो० जितेन्द्र कुमार)

(डा० अशोक कुमार सोम)

(डा० धमेन्द्र प्रताप सिंह)

(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)

(प्रो० रविन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत-

मा० कुलपति जी

29.4.19



Ch. Charan Singh University, Meerut

Durga Bhabhi Girl's Hostel

Ref. No. : DBGH/.....

Date : 02.04.19

वि० वि० के पत्र दिनांक पी० ए० / 1596 दिनांक 26-03-2019 व डी० बी० जी० एच० / 2108 दिनांक 01-04-2019 के अनुपालन में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति आज दिनांक 02-04-2019 को वि० वि० के दुर्गा भाभी महिला छात्रावास में अवैध/अनाधिकृत रूप से रह रही तीन पूर्व छात्राओं (अनीता मीणा कक्ष सं० F-09, शाबिस्ता खानम कक्ष सं० F-02, मीना पटेल कक्ष सं० A-03) से छात्रावास कक्ष खाली कराने की कार्यवाही की गई। गठित समिति में वि० वि० सम्बन्धित अधिकारीगण जिनमें महिला अधिकारीगण भी सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम अनीता मीणा से छात्रावास कक्ष खाली करने हेतु वार्ता की गई और वह अपना सामान लेकर छात्रावास कक्ष खाली कर चली गई। तदुपरान्त शाबिस्ता खानम से छात्रावास कक्ष खाली कराने हेतु वार्ता की गई परन्तु उसने छात्रावास कक्ष खाली करने से मना कर दिया व समिति सदस्यों से तर्क-कुतर्क करने लगी। साथ ही उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। समिति ने उसके समस्त सामान की उसके समक्ष इन्वेन्ट्री तैयार कराई, तथा बोरो में सामान पैक कराकर सामान के बोरों पर समिति के महिला अधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर अंकित किए। समिति द्वारा उसके सामान की सूची बनाकर शाबिस्ता खानम से उक्त सूची पर हस्ताक्षर करने को कहा गया परन्तु उसने मना कर दिया। फिर उसके सामान को छात्रावास के स्टोर में सील किया गया। शाबिस्ता खानम अपने एक shoulder bag के साथ छात्रावास के बाहर चली गई।

जब मीना पटेल से छात्रावास खाली करने की बात की गई तब उन्हें अपनी तबियत खराब होने का हवाला दिया। इसलिए मैडिकल कालिज के प्राचार्य से निवेदन कर एक मैडिकल डाक्टर की टीम को बुलवाया गया। जिन्होंने मीना पटेल का मेडिकल परीक्षण कर मीना के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दी। जिस पर प्राचार्य द्वारा पत्र निर्गत कर विश्वविद्यालय अधिकारियों को सूचित किया गया कि यदि मीना पटेल को किसी मैडिकल सहायता/इलाज की आवश्यकता है, तो उसका मैडिकल अस्पताल भेज दिया जाए। (रिपोर्ट संलग्न है।) इसके पश्चात मीना पटेल से छात्रावास कक्ष खाली करने हेतु वार्ता की गई। परन्तु वह कक्ष खाली करने के स्थान पर तर्क-कुतर्क व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। समिति ने उसके समस्त सामान की उसके समक्ष इन्वेन्ट्री तैयार कराई तथा बोरों में सामान पैक कराकर सामान के बोरों पर महिला अधिकारियों में अपने हस्ताक्षर अंकित किया।

छात्रावास के बाहर वि० वि० के ट्रैक्टर ड्राली में उसे लदवा दिया गया। इस बीच मीना पटेल के कथित रूप से भाई श्री संजय के मित्र श्री अनुपम सिंह S/O श्री महावीर सिंह निवासी A-97, गंगा नगर मेरठ भी वहाँ आ गए। श्री अनुपम सिंह से मीना पटेल के सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए प्रलेख साक्ष्य माँगे गए जिसे वह देने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि मुझे श्री संजय ने फोन करके कहा है कि आप मीना को समस्त सामान के साथ वि० वि० से अपने साथ ले जाएं। समिति ने श्री अनुपम से इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखवाया जिसमें उनका प्रता, मो० न० व पहचान स्वरूप आधार कार्ड प्राप्त किया गया। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराई गई। तदुपरान्त मीना भी दुर्गा भाभी महिला छात्रावास के बाहर (समय 3:30 PM) आ गई और तर्क-कुतर्क करती रही और फिर वि० वि० अधिकारियों पर अवांछित दबाव बनाने लगी कि मुझे सामान सहित इलाहाबाद भिजवाओं। जिस पर अधिकारियों ने कहा कि अपना कोई वाहन मंगवा लें। वि० वि० आपका समस्त सामान उसमें लोड करवा देगा। फिर भी सतत रूप से वह अभद्रता करती रही उसने यहाँ तक कहा कि मैं यहाँ पर आत्मदाह करके आप सबको फँसा दूंगी। मीना पटेल द्वारा वि० वि० के अधिकारियों के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाए गए और उसने आत्महत्या करने की धमकी दी। मीना पटेल की मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्बुलेन्स द्वारा मेडिकल कालिज में दो महिला कान्सटेबल के साथ (समय 5:45 PM) भेजा गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान समिति सदस्यों व अधिकारियों ने संयम बनाए रखा।

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Surya', 'Raj', 'Saw', 'Bhadra', and 'Zinadhang', along with the date '02.4.19' and the word 'Contd...'.

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त छात्राओं से छात्रावास खाली कराने हेतु वि० वि० द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से काफी प्रयास किए गए जिसके प्रमाण छात्रावास कार्यालय में संरक्षित है।

यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि मुख्य रूप से मीना पटेल का आचरण पूर्व में भी अनुशासनहीन अभद्रता करने व अधिकारियों पर मिथ्या आरोप लगाकर दबाव में लेने का रहा है। उक्त के भी प्रमाण छात्रावास कार्यालय में संरक्षित है। तीनों छात्राओं से छात्रावास खाली कराने के पश्चात समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त तीनों छात्राओं का वि० वि० में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाए। भविष्य में वि० वि० के किसी भी पाठ्यक्रम में इन्हे प्रवेश न दिया जाए। क्योंकि मीना पटेल ने वि० वि० अधिकारियों के समक्ष वि० वि० में आत्महत्या करने की धमकी दी एवं पूर्व में भी उसका आचरण अनुशासनहीन एवं वि० वि० अधिकारियों पर मिथ्या आरोप-प्रत्यारोप करने का रहा है। इसलिए समिति का एक मत है कि मीना पटेल पर की गई कार्यवाही एवं उसके आचरण के सम्बन्ध में कुलानुशासक द्वारा थाना मैडिकल जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पत्र तत्काल भेजा जाए एवं मीना पटेल के सील सामान को वि० वि० के स्टोर में सुरक्षित रूप से रखवाया गया।

समिति का यह भी मत है कि मीना पटेल की पी० एच० डी० की मौखिक परीक्षा सम्पन्न होने तक यदि वह वि० वि० में अनाधिकृत प्रवेश करती है और वि० वि० में अनुशासनहीनता करती है तो उसकी पी० एच० डी० डिग्री की अग्रिम प्रक्रिया समाप्त कर डिग्री पूर्ण न की जाए। छात्रा के शोध निर्देशक प्रो० योगेन्द्र सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस पूर्व छात्रा की मौखिक परीक्षा शीघ्र अति शीघ्र सम्पन्न कराएं।

Nazia Tarannum

(डा० नाजिया तरनुम)

(डा० अल्पना अग्रवाल)

(श्रीमति रुचि भट्ट)

(डा० धर्मेन्द्र प्रताप)

(डा० सजय)

(डा० प्रशान्त कुमार)

(डा० यशवेन्द्र वर्मा)

(डा० राजीव सिजरिया)

समन्वयक MBA विभाग

(प्रो० पी० के० शर्मा)

मुख्याधीक्षक छात्रावास

(डा० अर्चना त्रिवेदी)

(प्रो० प्रतिभा त्यागी)

(डा० प्रदीप चतुर्वेदी)

(डा० संरु कुमारी)

(प्रो० आर्लोक)

विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र

(ई० प्रदीप कुमार)

(ई० लक्ष्मी शंकर)

(प्रो० दिनेश कुमार)

(प्रो० वीरपाल)

मुख्याकुलानुशासक

(प्रो० आरधना)

(प्रो० जयमाला)

अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ

(डा० सचिन कुमार)

(डा० अशोक)

(प्रो० रविन्द्र)

(डा० दुष्यन्त चौहान)

(ई० विकसित त्यागी)

(प्रो० ए० के० चौबे)

(प्रो० जितेन्द्र ढाका)

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

For kind removal & approval of Hon'ble Vice Chancellor.

Copy to :

1. DSW
2. Proctor
3. Warden, DBGH

03.4.19

03/4/19



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 22.12.2018

बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 22.12.2018 को विश्वविद्यालय स्थित कुलपति कार्यालय में हुई घटना के प्रकरण के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक आहुत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी उपस्थित रहे—


1. प्रो० वाई० विमला (छात्र कल्याण अधिष्ठाता)
2. प्रो० बीरपाल सिंह (कुलानुशासक)
3. प्रो० रविन्द्र कुमार (सहायक कुलानुशासक)
4. प्रो० शिवराज सिंह (सहायक कुलानुशासक)
5. डॉ० अशोक कुमार (सहायक कुलानुशासक)
6. डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान (सहायक कुलानुशासक)
7. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा (सहायक कुलानुशासक)
8. डॉ० प्रदीप चौधरी (सहायक कुलानुशासक)
9. डॉ० सरू कुमारी (सहायक कुलानुशासक)
10. डॉ० सचिन कुमार (सहायक कुलानुशासक)
11. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप (सहायक कुलानुशासक)
12. डॉ० नाजिया तरन्नुम (सहायक कुलानुशासक)


दिनांक 22.12.2018 को विश्वविद्यालय स्थित कुलपति कार्यालय में छात्र आदित्य पंवार (शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग) एवं पूर्व छात्रों विजय सिंह राणा (पूर्व अध्यक्ष, छात्र संघ), अमित मलिक (पूर्व छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग) एवं एन.ए.एस. कॉलिज, मेरठ के पूर्व छात्र नितीश भारद्वाज एवं बाहरी व्यक्ति रोहित राणा के नेतृत्व में कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा कुलपति कार्यालय में आकर अनावश्यक रूप से अमर्यादित भाषा का प्रयोग एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। इनके इस कृत्य से विश्वविद्यालय का कार्य लगभग चार घण्टों तक बाधित रहा। इन बाहरी व्यक्तियों के इस कृत्य से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जा रहे पूर्व प्रधानमन्त्री व स्वतन्त्रता सेनानी चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष में चार दिवसीय कार्यक्रम में भी बाधा उत्पन्न हुई। इन व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कुलपति कार्यालय में जबरन घुसने का प्रयास किया गया। साथी ही अशोभनीय नारे जैसे— “जूते मारो सालों को” का प्रयोग किया गया। इनके उक्त कृत्य से कुलपति कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिये मिलने आये शिक्षकों एवं कर्मचारियों को घण्टों अन्दर ही बन्धक रहना पड़ा। कुलपति कार्यालय में बी०एड० (सत्र 2013-14) के परीक्षा परिणाम जैसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहे थे जिससे इन सभी सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई और अराजकता का माहौल बना।


[Handwritten signatures and initials]


अतः समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त घटना पर गहन विचार-विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त घटना घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। अतः समस्त सदस्यों द्वारा सहमति से निर्णय लिया गया कि छात्र आदित्य पंवार (शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इन सभी (आदित्य पंवार, विजय सिंह राणा, अमित मलिक, नितीश भारद्वाज एवं रोहित राणा) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें विश्वविद्यालय प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया।



(डॉ० नाजिया तरन्नूम)



(डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप)



(डॉ० सचिन कुमार)



(डॉ० सरू कुमारी)



(डॉ० प्रदीप चौधरी)


(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)



(डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान)


(डॉ० अशोक कुमार)



(प्रो० शिवराज सिंह)


(प्रो० रविन्द्र कुमार)


(प्रो० बीष्माल सिंह)


(प्रो० वाई० विमला)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-


(कुलपति जी) 22/12/18

19947
11/04/18



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
कुलानुशासक कार्यालय

बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 04.12.2018






आज दिनांक 04.12.2018 को सांय 3:00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में वि०वि० परिसर से सम्बन्धित विभिन्न अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में वि०वि० के निम्न प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे तथा निम्न बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया :-






1. प्रो० वाई विमला (अधिष्ठाता, छात्र कल्याण)
2. प्रो० बीरपाल सिंह (कुलानुशासक)
3. प्रो० जयमाला (निदेशक, एस०सी०आर०आई०ई०टी०)
4. प्रो० शिवराज सिंह पुण्डीर (सहायक कुलानुशासक)
5. प्रो० रविन्द्र कुमार (सहायक कुलानुशासक)
6. डॉ० अशोक कुमार (सहायक कुलानुशासक)
7. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा (सहायक कुलानुशासक)
8. डॉ० दुष्यन्त चौहान (सहायक कुलानुशासक)
9. डॉ० सचिन कुमार (सहायक कुलानुशासक)
10. डॉ० धमेन्द्र प्रताप (सहायक कुलानुशासक)
11. डॉ० सरू कुमारी (सहायक कुलानुशासक)
12. डॉ० राजीव सिजरिया (उपनिदेशक, एस०सी०आर०आई०ई०टी०)
13. डॉ० प्रशान्त कुमार (समन्वयक, पत्रकारिता एवं जनसंचसार विभाग)
14. कर्नल अनिल सिरौही (प्रशासनिक अधिकारी, एस०सी०आर०आई०ई०टी०)
15. डॉ० अर्चना त्रिवेदी (एस०सी०आर०आई०ई०टी०)






1. बाहरी छात्र गगन सोम उर्फ अश्वनी कुमार द्वारा दिनांक 27.11.2018 को प्रो० जयमाला के साथ की गई अभद्रता के प्रकरण में गगन सोम उर्फ अश्वनी कुमार का विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित करने के साथ-साथ पुलिस थाने को सूचित करने का निर्णय लिया गया।
2. सर छोटूराम अभियांत्रिकी संस्थान में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत डॉ० अनुराग त्यागी के साथ दिनांक 29.11.2018 को डॉ० आर०के० सिंह छात्रावास के निकट अभद्रता के प्रकरण, जिसमें डॉ० अनुराग त्यागी द्वारा लिखित शिकायत में शामिल एक व्यक्ति की पहचान निखिल पंडित के रूप में की गई है। डॉ० अनुराग त्यागी के प्रत्यावेदन के आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से बाहरी व्यक्ति निखिल पंडित के खिलाफ एफ०आई०आर० कराने के साथ-साथ परिसर में प्रवेश भी प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया।
3. राजनीति विज्ञान विभाग के शोध छात्र संतोष त्यागी द्वारा वि०वि० के मुख्य द्वार पर दिनांक 20.11.2018 को सुरक्षाकर्मियों एवं कुलानुशासक मंडल के साथ की गई अभद्रता के प्रकरण में सन्तोष त्यागी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया तथा शोध निर्देशक के माध्यम से अपना लिखित स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में जमा कराने का निर्णय लिया गया।
4. वि०वि० के मुख्य द्वार पर यू०पी० 15 बीएम 5101 नम्बर की कार में सवार संजय नागर नामक व्यक्ति द्वारा सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में जांच किये जाने का निर्णय लिया गया।

[Handwritten signatures and initials]

5. दिनांक 30.08.2018 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ने के प्रकरण में वि०वि० के पत्रांक कुला०/1180 दिनांक 11.09.2018 के द्वारा बी०जे०एम०सी० के छात्र अभिषेक राणा को निलम्बित किया गया था। छात्र अभिषेक राणा एवं इनके पिताजी की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र के आधार पर निर्णय लिया गया कि अभिषेक राणा को एक सेमेस्टर की परीक्षा से रोककर दण्डित किया जाये तथा इसके उपरान्त इनके निलम्बन को समाप्त कर दिया जाए।
6. डॉ० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास में दिनांक 18.11.2018 को रात्रि 9:45 बजे पर हुई घटना में छात्रावास अधीक्षक की आख्या को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
7. के०पी० छात्रावास में दिनांक 05.10.2018 को दो गुटों में हुई मारपीट के प्रकरण में एक वर्ष के लिए रैस्ट्रिकेट किये गये छात्रों (परितोष त्यागी, बी०टैक, ए०जी०, द्वितीय वर्ष, सक्षम श्रीवास्तव, बी०टैक०, सी०एस०, तृतीय वर्ष, सुबोध तोगड, बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष, आदित्य विक्रम, बी०टैक०, आई०टी०, तृतीय वर्ष, अरूण चौहान, बी०टैक० सी०एच०, ऋषिकान्त, बी०टैक, एम०ई०, तृतीय वर्ष, राहुल गौतम, बी०टैक, एम०ई०, तृतीय वर्ष, किशन सिंह बी०टैक, ई०सी०, तृतीय वर्ष) के सम्बन्ध में पूर्व के निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।
8. एम०बी०ए० के छात्र सनी मोदी द्वारा डॉ० राजीव सिजरिया के साथ किये गये दुर्व्यवहार के प्रकरण में छात्र द्वारा माफी नामे पर विचार करते हुए एवं सर छोटूराम अभियांत्रिकी संस्थान के कुलानुशासक मण्डल/अनुशासक समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए छात्र सनी मोदी का वि०वि० से निलम्बन समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
9. वाणिज्य विभाग के सामने दिनांक 15.11.2018 को हुई मारपीट की घटना में एफ०आई०आर० में जिन छात्रों के नाम हैं, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।


 (प्रो० वी० विमला)

 (प्रो० शिवराज सिंह पुण्डीर)

 (डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)

 (डॉ० धमेन्द्र प्रताप)

 (डॉ० सरू कुमारी)


 (प्रो० बीरपाल सिंह)

 (प्रो० रविन्द्र कुमार)

 (डॉ० दुष्यन्त चौहान)

 (डॉ० राजीव सिजरिया)

 (कर्मल अनिल सिरोही)


 (प्रो० जयमाला)

 (डॉ० अशोक कुमार)

 (डॉ० सचिन कुमार)

 (डॉ० प्रशान्त कुमार)

 (डॉ० अर्चना त्रिवेदी)

माननीय कुलपति जी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

Approved



14.12.18



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक कुला०/
दिनांक:- 03.12.2018

छात्र कल्याण अधिष्ठाता
समस्त कुलानुशासक मण्डल
समन्वयक, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग
निदेशिका/प्रशासनिक अधिकारी, सर छोटू राम अभियंत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान
महोदया/महोदय,

सादर अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित विभिन्न अनुशासनहीनताओं के प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक दिनांक 4.12.2018 को सायं 3:00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में होनी है। कृपया उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

सादर।

Notary P
3/12/18

22/11/18
3/12/2018

3/12/18

Botany

3/12/18

भयद्वीय 03/12/2018
कुलानुशासक

B.Tech

W
03/12/18

M.J.M.C राजा
3/12/2018

3/12/18

English 02
11/2/18

3/12/18

SIR CHHOTU RAM INSTITUTE OF ENGG. & TECH.
CCS UNIVERSITY CAMPUS, MEERUT
Tel.: 0121 – 2770083, 2774974
(AICTE APPROVED)

Ref. SCR/ /2018
Date. 01.12-2018

MEETING OF DISCIPLINE / PROCTORIAL COMMITTEE – 01.12.2018

1. Discipline/Proctorial Committee (SRIET) again assembled on 01.12.2018 to review the matter regarding the misbehavior with Dy. Director in MBA Deptt. and suspension of Sunny Modi.
2. The proctorial board discussed the prior action of suspension of student Sunny Modi taken by the University on the recommendation of SRIET.
3. Now student Sunny Modi has submitted an apology letter to the Hon'ble Vice-Chancellor for his misbehavior with Dy. Director (copy of proceeding enclosed).
4. After hearing and receiving the letter of apology from the student Sunny Modi S/o Sh. Jagveer Singh Modi, MBA 1st Semester, the Committee has recommended following:-
 - (a) Apology letter of Sunny Modi may be accepted.
 - (b) Keeping in view the future of the student and his career he may be allowed to appear in forthcoming examinations. (c) He will not be entertained further if he commit any mistake in future.

[Signature]
01/12/18
(Er. J. R. Bentham)

[Signature]
(Er. Ankit Sisodia)

[Signature]
01/12/18
(Er. Amit Punia)

[Signature]
(Dr. Dharmendra Kumar)

[Signature]
(Sh. V.V. Tyagi)


[Signature]
(Col Anil Kumar)
Administrative Officer


[Signature]
Director


[Signature]
01/12/18
(Dr. Rajeev Sijariya)
Dy Director


Proctor
For necessary action to reconsider suspension of Sunny Modi.
[Signature]
01/12/18


10. विश्वविद्यालय के प्रोक्टर एवं सुरक्षाधिकारी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही एवं पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



(ई० डी०पी० सिंह)
सहा० वार्डन



(ई० प्रवीन कुमार)
वार्डन



(डा० अल्पना अग्रवाल)
सहा० वार्डन



(डा० डी०के० चौहान)
वार्डन



(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन



(प्रो० आराधना)
वार्डन


(प्रो० अतवीर सिंह)
वार्डन



(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन



(प्रो० प्रतिभा स्यागी)
वार्डन


(प्रो० ए०के० चौबे)
वार्डन


(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।


माननीय कुलपति जी


20-11-18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक-2/11/18

आज दिनांक 02-11-2018 को चीफ वार्डन कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी जिसमें निम्नांकित उपस्थित रहे।

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. प्रो० पी०के० शर्मा | मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 2. प्रो० ए०के० चौबे | वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास |
| 3. प्रो० प्रतिभा त्यागी | वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास |
| 4. प्रो० दिनेश कुमार | वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास |
| 5. प्रो० अतवीर सिंह | वार्डन, डा० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास |
| 6. प्रो० आराधना | वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास |
| 7. डा० यशवेन्द्र वर्मा | वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास |
| 8. डा० डी०के० चौहान | वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास |
| 9. डा० अल्पना अग्रवाल | सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास |
| 10. ई० प्रवीन कुमार | वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास |
| 11. ई० डी०पी० सिंह | सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास |

बैठक में छात्रावासों के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

01. प्रत्येक छात्रावास पर 24x7 दो सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए।
02. प्रत्येक छात्रावास प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी द्वारा आवासीय छात्रों तथा आगन्तुकों के आवागमन का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाना सुनिश्चित हो।
03. यदि कोई छात्र अथवा आगन्तुक बिन्दु 02 का पालन करने में आनाकानी/अवहेलना करता है तो तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी सूचना लिखित रूप में वार्डन को दी जाए।
04. यदि छात्रावास में कोई झगड़ा-फसाद अथवा अन्य कोई अप्रिय घटना होती है तो सुरक्षा कर्मी तत्काल अपने सुरक्षा अधिकारियों, वार्डन, अथवा चीफ वार्डन को सूचित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार डायल 100 पर भी सूचना प्रेषित करें।
05. सुरक्षाकर्मियों द्वारा छात्रावास का मुख्य प्रवेश द्वार नियमानुसार (निर्धारित समयानुसार) बन्द रखा जायें।
06. सुरक्षागार्डों की ड्यूटी/पाली परिवर्तन के समय पोस्ट खाली न छोड़ी जाये अर्थात् पूर्व पाली के सुरक्षाकर्मी तभी पोस्ट छोड़ेंगे जब नई पाली के सुरक्षाकर्मी का पोस्ट पर आगमन हो जायेगा।
07. दोनो सुरक्षाकर्मियों में से एक सुरक्षाकर्मी समय-समय पर छात्रावास भवन के अन्दर व बाहर गश्त अवश्य करता रहें।
08. यदि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के चावजूद छात्रावास भवन में तोड़फोड़/चोरी की घटना होती है तो वहाँ पर तैनात सुरक्षाकर्मियों अथवा सुरक्षा एजेंसी का उत्तरदायित्व निश्चित किया जायें।
09. उपरोक्त में से किसी भी बिन्दु का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित वार्डन प्रॉक्टर एवं विश्वविद्यालय सुरक्षा अधिकारी तथा चीफ वार्डन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत करायेगें।

(Handwritten signatures and initials)



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Page ① of ②

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

दिनांक : 23.10.2018

आज दिनांक 23.10.2018 को विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में एन्टी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

उपस्थिति :-

1. प्रो० एच०एस० सिंह
2. प्रो० वाई विमला
3. प्रो० राकेश कुमार
4. प्रो० जयमाला
5. प्रो० शिवराज सिंह
6. प्रो० शैलेन्द्र सिंह गौरव
7. डा० अशोक कुमार
8. डा० राकेश कुमार शर्मा
9. डा० अर्चना त्रिवेदी
10. डा० अमरजीत सिंह
11. डा० सचिन कुमार
12. डा० धर्मेन्द्र प्रताप
13. डा० प्रशान्त कुमार
14. डा० राहुल कुमार
15. डा० नीलू जैन
16. श्री प्रवीन कुमार
17. श्री मिलिंद

छात्रों के द्वारा दिए गये बयान, पूर्व में रैगिंग निरोधी समिति द्वारा किए गये निर्णयों का विस्तार पूर्वक अनुशीलन के पश्चात् स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया रैगिंग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए यह रैगिंग का प्रकरण नहीं है। वरन् यह प्रकरण उनकी आपसी दुश्मनी, नियम विरुद्ध छात्रावास में प्रवेश से उत्पन्न अराजकता से सम्बन्धित है, जिसके लिए पूर्व में गठित समिति के द्वारा लिये गये निर्णय से समिति सहमत है, उन्हें तदानुसार दण्डित किया जा चुका है।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature


Handwritten signature


Handwritten signature


Handwritten signature


समिति को सर छोटूराम इंस्टी० ऑफ इन्जी० एण्ड टैक्नोलोजी के निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रकरण में जिस पारितोष त्यागी नाम का छात्र है, वह संस्थान का वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करने के कारण वर्तमान में विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है। अतः समिति का मत है कि पारितोष त्यागी के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराते हुए उसका विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।


प्रो० एच०एस० सिंह 23.10.18



प्रो० वाई विमला 23/10/18



प्रो० राकेश कुमार



प्रो० जयमाला 23.10.18


प्रो० शिवराज सिंह



प्रो० शैलेन्द्र सिंह गौरव



डा० अशोक कुमार 23.10.18



डा० राकेश कुमार शर्मा



डा० अर्चना त्रिवेदी 23-10-18



डा० अमरजीत सिंह 23/10/18



डा० सचिन कुमार 23-10-18


डा० धर्मन्द्र प्रताप 23/10/18


डा० प्रशान्त कुमार 23/10/18



डा० राहुल कुमार


डा० नीलू जैन 23/10/18


श्री प्रवीन कुमार 23/10/18


श्री मिलिंद

भा० कुलपति मृपया अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।


भा० कुलपति जी.
05-12-18



कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)
बैठक की कार्यवाही

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित रूसी भाषा विभाग में अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में छात्र कल्याण अधिष्ठाता मण्डल एवं कुलानुशासक मण्डल की एक आवश्यक बैठक दिनांक 30.07.2018 को सांय 4.00 बजे समिति कक्ष, प्रशासनिक भवन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में आहूत हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. प्रो० वाई० विमला, छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, कुलानुशासक
3. प्रो० जयमाला, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग
4. प्रो० आर०के० सोनी, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता
5. डॉ० अनिल कुमार मलिक, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता
6. डॉ० नीलू जैन गुप्ता, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता
7. डॉ० संजय कुमार, सहायक, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता
8. प्रो० बीरपाल सिंह, विभागाध्यक्ष- भौतिकी विभाग
9. डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, जन्तु विज्ञान विभाग
10. डॉ० अशोक कुमार, वनस्पति विज्ञान विभाग
11. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, विष विज्ञान विभाग
12. डॉ० शिवराज सिंह पुण्डीर, गणित विभाग
13. डॉ० नाजिया तरन्नुम, रसायन विज्ञान विभाग
14. डॉ० प्रदीप चौधरी, सांख्यिकी विभाग
15. श्री एस०के० दत्त, रूसी भाषा विभाग
16. डॉ० राजीव सिजेरिया, आई०बी०एस०
17. श्री प्रवीन कुमार, एस०सी०आर०आई०टी०

समिति द्वारा श्री एस०के० दत्त, विभागाध्यक्ष, रूसी भाषा विभाग के पत्र दिनांक 28.07.2018 का संज्ञान लिया गया तथा गहनतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया। आवेदक श्री दिवेश सिरौही पुत्र श्री ओम प्रकाश सिरौही, मकान नम्बर- 3, प्रथम तल, प्रेम प्रयाग कलोनी, गढ़ रोड, मेरठ (स्थाई पता- ए०-86, बीटा-1, ग्रेटर नोएडा, कसाना, गौतम बुद्ध नगर) द्वारा श्री एस०के० दत्त जी के साथ गाली-गलौच, दुर्व्यवहार एवं अन्य छात्र नेताओं, मीडिया/प्रेस को, पुलिस बुलाने की एवं न्यायालय में शिकायत/केस करनी की धमकी देने का कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उक्त सम्बन्ध में अनुशासन समिति ने निर्णय लिया कि आरोपित छात्र का विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए कुलसचिव महोदय उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मेडिकल में प्राथमिकी दर्ज कराये। समिति को अवगत कराया गया कि आरोपित छात्र द्वारा वर्तमान में इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज विभाग में एमबी०ए० पाठ्यक्रम (सत्र 2018-19) के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है। समिति द्वारा उक्त रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने का निर्देश दिया गया।

He
(प्रो० वाई० विमला) Bone
(प्रो० भूपेन्द्र सिंह) 30-7-18
(प्रो० जयमाला) 30-7-18
(प्रो० आर०के० सोनी) 30-7-18
(डॉ० अनिल कुमार मलिक) 30-7-18
(डॉ० नीलू जैन गुप्ता) 30-7-18
(डॉ० संजय कुमार) 30-7-18
(प्रो० बीरपाल सिंह) 30-7-18
(डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान) 30-7-18
(डॉ० अशोक कुमार) 30-7-18
(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा) 30-7-18
(डॉ० शिवराज सिंह पुण्डीर) 30-7-18
(डॉ० नाजिया तरन्नुम) 30-7-18
(डॉ० प्रदीप चौधरी) 30-7-18
(श्री एस०के० दत्त) 30-7-18
(डॉ० राजीव सिजेरिया) 30-7-18
(श्री प्रवीन कुमार)

Submitted for kind approval of the honourable Vice-Chancellor

AT M



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक-6/10

आज दिनांक: 06.10.2018 को साय: 3:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित विश्वविद्यालय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. प्रो० पी०के० शर्मा | मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 2. प्रो० ए०के० चौबे | वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास |
| 3. प्रो० भूपेन्द्र सिंह | कुलानुशासक |
| 4. प्रो० दिनेश कुमार | वार्डन, डॉ० आर० के० सिंह छात्रावास |
| 5. डा० वीरपाल सिंह | सहा० कुलानुशासक एवं सहा० वार्डन, |
| 6. डा० यशवेन्द्र वर्मा | वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक |
| 7. डा० डी०के० चौहान | वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक |
| 8. कर्नल (रिटा०) अनिल कुमार | प्रशासनिक अधिकारी |
| 9. ज्ञ० सचिन कुमार | सहा० कुलानुशासक |
| 10. डा० डी० प्रताप | सहा० कुलानुशासक |
| 11. डा० मनोज श्रीवास्तव | पत्रकारिता एवं जनसंघार विभाग |
| 12. ई० प्रवीण कुमार | वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास |
| 13. डॉ० नीलू जैन गुप्ता | सहा० छात्र कल्याण अधिष्ठाती |

कल दिनांक: 05.10.2018 की रात्रि में लगभग 11:00 बजे सी०सी०टी०वी० प्रथम वर्ष के छात्र श्री दीपक यादव (कक्ष संख्या- 71 डा० के०पी० छात्रावास) के साथ की गई मार-पीट के प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि घटना के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय अधिकारी एवं पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी। उस समय दीपक यादव एवं बड़ी संख्या में कुछ छात्र/बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय के विरुद्ध नारेबाजी एवं हंगामा कर रहे थे।

उक्त घटना कि सी०सी०टी०वी० फुटेज निकलवाकर देखी गई जिसमें छात्रावास से इतर बाहरी छात्र/व्यक्ति अन्दर जाते एवं बाहर आते हुए दिखाई दे रहे है।


यदपि रात्रि में श्री दीपक यादव ने इस घटना के सम्बन्ध में जो एक शिकायती पत्र दिया था उसमें किसी भी नाम का उल्लेख नहीं है। उक्त शिकायती पत्र को चीफ वार्डन द्वारा थाना प्रभारी, मैडिकल कॉलेज को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा चुका है। परन्तु आज दिनांक 06.10.2018 को अपराहन छात्र श्री दीपक यादव ने वार्डन, डॉ० के०पी० छात्रावास को उक्त घटना से सम्बंधित छात्रों के नाम बताते हुए किशन सिंह, बी०टैक ई०सी० तृतीय वर्ष, सक्षम श्रीवास्तव, बी०टैक,सी०एस०, तृतीय वर्ष, सुबोध तोगड़, बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष, राहुल गौतम, बी०टैक, एम०ई० तृतीय वर्ष, परितोष त्यागी, बी०टैक ए०जी० तृतीय वर्ष, आदित्य विक्रम, बी०टैक आई०टी० तृतीय वर्ष, पर उसके साथ रैगिंग तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है।


सी०सी०टी०वी० फुटेज के अवलोकन एवं मौके पर पहुँचे विश्वविद्यालय अधिकारियों के स्थलीय संज्ञान के अधार पर उक्त प्रकरण के विषय में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।


- 1 श्री दीपक यादव द्वारा दिये गये किशन सिंह, बी०टैक ई०सी० तृतीय वर्ष, सक्षम श्रीवास्तव, बी०टैक, तृतीय वर्ष, सुबोध तोगड़, बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष, राहुल गौतम, बी०टैक, एम०ई० तृतीय वर्ष, परितोष त्यागी, बी०टैक ए०जी० तृतीय वर्ष, आदित्य विक्रम, बी०टैक आई०टी० तृतीय


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


वर्ष, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनसे तीन दिनों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि अनुशासनहीनता एवं छात्रावास का माहौल खराब करने में संज्ञिप्त होने के कारण क्यो न उनको निष्काषित कर दिया जाये। साथ ही इस प्रकरण को उक्त दिन हेतु निर्धारित रेगिंग समिति अध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाए।



(ई० प्रवीन कुमार)
वार्डन



(डा० मनोज श्रीवास्तव)
सहयुक्त आचार्य



(डॉ० डी० प्रसाद)
सहा० कुलानुशासक



(डॉ० सचिन कुमार)
सहा० कुलानुशासक



(कर्मल (रिट०) अनिल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी



(डॉ० डी०के० चौहान)
वार्डन



(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन



(डॉ० नीलू जैन गुप्ता)
सहा० छात्र कल्याण अधिष्ठाती



(प्रो० वीरपाल सिंह)
सहा० कुलानुशासक



(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)
कुलानुशासक


(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन



(प्रो० ए०के० चौहान)
वार्डन



(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन


(डा० जैन)


(डा० कल्याण अधिष्ठाती)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



(माननीय कुलपति जी) 
06.10.18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक-06/10/18

आज दिनांक: 06.10.2018 को साय: 3:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित विश्वविद्यालय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. प्रो० पी०के० शर्मा | मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 2. प्रो० ए०के० चौबे | वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास |
| 3. प्रो० भूपेन्द्र सिंह | कुलानुशासक |
| 4. प्रो० दिनेश कुमार | वार्डन, डॉ० आर० के० सिंह छात्रावास |
| 5. डा० वीरपाल सिंह | सहा० कुलानुशासक एवं सहा० वार्डन, |
| 6. डा० यशवेन्द्र वर्मा | वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक |
| 7. डा० डी०के० चौहान | वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक |
| 8. कर्नल (रिटा०) अनिल कुमार | प्रशासनिक अधिकारी |
| 9. डा० सचिन कुमार | सहा० कुलानुशासक |
| 10. डा० डी० प्रताप | सहा० कुलानुशासक |
| 11. डा० मनोज श्रीवास्तव | पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग |
| 12. ई० प्रवीन कुमार | वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास |
| 13. डॉ० नीलू जैन गुप्ता | सहा० छात्र कल्याण अधिष्ठाती |

कल दिनांक: 05.10.2018 की रात्रि में लगभग 11:00 बजे बी०जे०एम०सी० प्रथम वर्ष के छात्र श्री दीपक यादव (कक्ष संख्या- 71 डा० के०पी० छात्रावास) के साथ की गई मार-पीट के प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि घटना के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय अधिकारी एवं पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी। उस समय दीपक यादव एवं बड़ी संख्या में कुछ छात्र/बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय के विरुद्ध नारेबाजी एवं हंगामा कर रहे थे।

उक्त घटना कि सी०सी०टी०वी० फुटेज निकलवाकर देखी गई जिसमें छात्रावास से इतर बाहरी छात्र/व्यक्ति अन्दर जाते एवं बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।


यद्यपि रात्रि में श्री दीपक यादव ने इस घटना के सम्बन्ध में जो एक शिकायती पत्र दिया था उसमें किसी भी नम का उल्लेख नहीं है। उक्त शिकायती पत्र को चीफ वार्डन द्वारा थाना प्रभारी, मैडिकल कॉलेज को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा चुका है। परन्तु आज दिनांक 06.10.2018 को अपराहन छात्र श्री दीपक यादव ने वार्डन, डॉ० के०पी० छात्रावास को उक्त घटना से सम्बंधित छात्रों के नाम बताते हुए किशन सिंह, बी०टैक ई०सी० तृतीय वर्ष, सक्षम श्रीवास्तव, बी०टैक,सी०एस०, तृतीय वर्ष, सुबोध तोगड़, बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष, राहुल गौतम, बी०टैक, एम०ई० तृतीय वर्ष, परितोष त्यागी, बी०टैक ए०जी० तृतीय वर्ष, आदित्य विक्रम, बी०टैक आई०टी० तृतीय वर्ष, पर उसके साथ रैगिंग तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है।


सी०सी०टी०वी० फुटेज के अवलोकन एवं मौके पर पहुँचे विश्वविद्यालय अधिकारियों के स्थलीय संज्ञान के अधार पर उक्त प्रकरण के विषय में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।


1. श्री दीपक यादव द्वारा दिये गये किशन सिंह, बी०टैक ई०सी० तृतीय वर्ष, सक्षम श्रीवास्तव, बी०टैक, तृतीय वर्ष, सुबोध तोगड़, बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष, राहुल गौतम, बी०टैक, एम०ई० तृतीय वर्ष, परितोष त्यागी, बी०टैक ए०जी० तृतीय वर्ष, आदित्य विक्रम, बी०टैक आई०टी० तृतीय


(Handwritten signatures and marks)


वर्ष, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनसे तीन दिन के अर्न्तगत स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि अनुशासनहीनता एवं छात्रावास का माहौल खराब करने में संलिप्त होने के कारण क्यो न उनको निष्काषित कर दिया जायें। साथ ही इस प्रकरण को उक्त दिन हेतु निर्धारित रेगिंग समिति अध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाए।



(ई० सी० प्रवीन कुमार)
वार्डन



(डा० मनोज श्रीवास्तव)
सहयुक्त आचार्य



(डॉ० डी० प्रताप)
सहा० कुलानुशासक



06.10.18
(डॉ० सचिन कुमार)
सहा० कुलानुशासक



(कर्मल (रिटा०) अनिल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी



6.10.18
(डॉ० डी०के० चौहान)
वार्डन



(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन



6/10/18
(डॉ० नीलू जैन गुप्ता)
सहा० छात्र कल्याण अधिष्ठात्री



6/10/18
(प्रो० वीरपाल सिंह)
सहा० कुलानुशासक


(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)
कुलानुशासक



(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन


6/10/18
(प्रो० ए०के० चौहान)
वार्डन



06.10.18
(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन


(डा० नीलू जैन गुप्ता)
(सहा० छात्र कल्याण अधिष्ठात्री)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।


Approved

(माननीय कुलपति जी)


06.10.18



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक कुला०/

दिनांक :- 19-09-2018

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 19.09.2018 को कुलानुशासक कार्यालय में अपरान्ह 2 बजे अनुशासन समिति की एक बैठक आहुत की गई जिसमें छात्र विवेक सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, बी० टेक०, (ई०सी०) अन्तिम वर्ष द्वारा पत्रांक: कुला०/1179, दिनांक : 07.09.2018 के क्रम में कुलानुशासक कार्यालय में दिनांक 11.09.2018 को दिये गये लिखित स्पष्टीकरण का संज्ञान लिया गया। इस बैठक में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुये :-

1. प्रो० वाई० विमला, छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2. प्रो० जयमाला, निदेशिका, सर छोटू राम अभियांत्रिकी एक तकनीकी संस्थान
3. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, कुलानुशासक
4. प्रो० बीरपाल सिंह सहायक कुलानुशासक
5. डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, सहायक कुलानुशासक
6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, सहायक कुलानुशासक
7. डॉ० प्रदीप चौधरी, सहायक कुलानुशासक
8. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप, सहायक कुलानुशासक
9. डॉ० सरू कुमारी, सहायक कुलानुशासक
10. डॉ० नाजिया तरन्नुम, सहायक कुलानुशासक
11. डॉ० सचिन कुमार, सहायक कुलानुशासक

बैठक में छात्र विवेक सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, बी० टेक०, (ई०सी०) अन्तिम वर्ष द्वारा पत्रांक कुला०/1179, दिनांक : 07.09.2018 के क्रम में कुलानुशासक कार्यालय में दिनांक 11.09.2018 को दिये गये लिखित स्पष्टीकरण जिस पर सर छोटू राम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान के निदेशिका सहित विभिन्न शिक्षको एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छात्र के बारे में लिखित टिप्पणीयां अंकित हैं का संज्ञान लेते हुये अनुशासन समिति ने उक्त प्रकरण में सर्व सम्मिति से निम्नलिखित निर्णय लिया।

छात्र विवेक सिंह को दिनांक 06.09.2018 को सर छोटू राम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान के प्रशासनिक भवन में असामाजिक तत्वों द्वारा नारेबाजी, एवं तोड़फोड़ की घटना में संस्थान के पत्रांक SCR/39A/2018-19 दिनांक 07.09.2018 में सम्मिलित होना बताया था। जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पत्रांक : कुलानुशासक /1179 दिनांक 07.09.2018 को उक्त छात्र को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया था तथा साथ ही

P.T.O

NA

Blon

Am

AS

10/1/18


PK


R


ti


(2)


दिनांक 11.09.2018 तक लिखित स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया था। छात्र द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अपना लिखित स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। छात्र विवेक सिंह द्वारा घटना के समय प्रशासनिक भवन में अपने किसी कार्य के कारण उपस्थित होना बताया गया है साथ ही कुछ छात्रों द्वारा विवेक सिंह को धरने पर जबरदस्ती बिठाना बताया गया है। इस आशय का छात्र द्वारा दिनांक 13.09.2018 को शपथ पत्र भी दिया गया है। छात्र के अनुशासन एवं शैक्षणिक रिकार्ड के बारे में भी निदेशिका सर छोटू राम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान से लिखित सूचना मांगने पर ज्ञात हुआ है कि छात्र विवेक सिंह पूर्व में किसी भी आनुशासनहीनता की घटना में शामिल नहीं रहा है तथा एक होनहार एवं अच्छे चरित्र का छात्र रहा है। इस आशय की विभिन्न टिप्पणियां संस्थान के विभिन्न शिक्षको एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी छात्र के स्पष्टीकरण पर दर्ज है। उक्त के आलोक में छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से अनुशासन समिति द्वारा छात्र विवेक सिंह का निलम्बन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया।



(डा० धर्मन्द्र प्रताप)



(डा० नाजिया तरनुम)



(डा०सरूकुमारी)



(डा० प्रदीप चौधरी)



(डा० यशवेन्द्र वर्मा)



(डा०दुष्यन्त कुमार चौहान)


(डा० सचिन कुमार)


(प्रो०बीरपाल सिंह)


(प्रो०भुपेन्द्रसिंह)


(प्रो०जयमाला)


(प्रो०वाई०विमला)

माननीय कुलपति जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक कुला०/
दिनांक :- 19-09-2018

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 19.09.2018 को कुलानुशासक कार्यालय में अपराह्न 2 बजे अनुशासन समिति की एक बैठक आहुत की गई जिसमें छात्र विवेक सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, बी० टेक०, (ई०सी०) अन्तिम वर्ष द्वारा पत्रांक: कुला०/1179, दिनांक : 07.09.2018 के क्रम में कुलानुशासक कार्यालय में दिनांक 11.09.2018 को दिये गये लिखित स्पष्टीकरण का संज्ञान लिया गया। इस बैठक में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुये :-

1. प्रो० वाई० विमला, छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2. प्रो० जयमाला, निदेशिका, सर छोटू राम अभियांत्रिकी एक तकनीकी संस्थान
3. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, कुलानुशासक
4. प्रो० बीरपाल सिंह सहायक कुलानुशासक
5. डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, सहायक कुलानुशासक
6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, सहायक कुलानुशासक
7. डॉ० प्रदीप चौधरी, सहायक कुलानुशासक
8. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप, सहायक कुलानुशासक
9. डॉ० सरू कुमारी, सहायक कुलानुशासक
10. डॉ० नाजिया तरन्नुम, सहायक कुलानुशासक
11. डॉ० सचिन कुमार, सहायक कुलानुशासक

बैठक में छात्र विवेक सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, बी० टेक०, (ई०सी०) अन्तिम वर्ष द्वारा पत्रांक कुला०/1179, दिनांक : 07.09.2018 के क्रम में कुलानुशासक कार्यालय में दिनांक 11.09.2018 को दिये गये लिखित स्पष्टीकरण जिस पर सर छोटू राम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान के निदेशिका सहित विभिन्न शिक्षको एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छात्र के बारे में लिखित टिप्पणीयां अंकित है का संज्ञान लेते हुये अनुशासन समिति ने उक्त प्रकरण में सर्व सम्मिति से निम्नलिखित निर्णय लिया।


छात्र विवेक सिंह को दिनांक 06.09.2018 को सर छोटू राम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान के प्रशासनिक भवन में असामाजिक तत्वों द्वारा नारेबाजी, एवं तोड़फोड़ की घटना में संस्थान के पत्रांक SCR/39A/2018-19 दिनांक 07.09.2018 में सम्मिलित होना बताया था। जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पत्रांक : कुलानुशासक /1179 दिनांक 07.09.2018 को उक्त छात्र को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया था तथा साथ ही


P.T.O


4
NT
S. K. S.
S. K. S.
S. K. S.
S. K. S.
S. K. S.
S. K. S.

(2)


दिनांक 11.09.2018 तक लिखित स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया था। छात्र द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अपना लिखित स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। छात्र विवेक सिंह द्वारा घटना के समय प्रशासनिक भवन में अपने किसी कार्य के कारण उपस्थित होना बताया गया है साथ ही कुछ छात्रों द्वारा विवेक सिंह को धरने पर जबरदस्ती बिठाना बताया गया है। इस आशय का छात्र द्वारा दिनांक 13.09.2018 को शपथ पत्र भी दिया गया है। छात्र के अनुशासन एवं शैक्षणिक रिकार्ड के बारे में भी निदेशिका, सर छोटू राम अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान से लिखित सूचना मांगने पर ज्ञात हुआ है कि छात्र विवेक सिंह पूर्व में किसी भी आनुशासनहीनता की घटना में शामिल नहीं रहा है तथा एक होनहार एवं अच्छे चरित्र का छात्र रहा है। इस आशय की विभिन्न टिप्पणियां संस्थान के विभिन्न शिक्षको एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी छात्र के स्पष्टीकरण पर दर्ज है। उक्त के आलोक में छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से अनुशासन समिति द्वारा छात्र विवेक सिंह का निलम्बन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया।



(डा० धर्मेन्द्र प्रताप)



(डा० नाजिया तरनुम)


(डा० अंशरुकुमारी)



(डा० प्रदीप चौधरी)


(डा० यशवेन्द्र वर्मा)


(डा० दुष्यन्त कुमार चौहान)



(डा० सचिन कुमार)


(प्रो० बीरपाल सिंह)


(प्रो० भुपेन्द्रसिंह)


(प्रो० जयमाला)


(प्रो० वाई० विमला)


20.9.18

माननीय कुलपति जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

दिनांक:- 12.09.2018

बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 12.09.2018 को कुलानुशासक कार्यालय में श्री आदित्य पँवार द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श क निर्णय लेने हेतु, अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। जिसमें निम्नलिखित विश्वविद्यालय पदाधिकारी उपस्थित थे।


1. प्रो० वाई० विमला, छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, कुलानुशासक
3. प्रो० बीरपाल सिंह सहायक कुलानुशासक
4. प्रो० रविन्द्र कुमार सहायक कुलानुशासक
5. डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान सहायक कुलानुशासक
6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा सहायक, कुलानुशासक
7. डॉ० प्रदीप चौधरी, सहायक कुलानुशासक
8. डॉ० सचिन कुमार सहायक कुलानुशासक
9. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप, सहायक कुलानुशासक
10. डॉ० नाजिया तरन्नुम, सहायक कुलानुशासक
11. डॉ० सरू कुमारी, सहायक कुलानुशासक


आदित्य पँवार (पूर्व छात्र लोक प्रशासन/राजनीति विज्ञान विभाग) के प्रत्यावेदन (पत्रांक 15804/दिनांक: 17/7/18) जो कि माननीय कुलपति जी द्वारा कुलानुशासक को अग्रसारित है, का संज्ञान लिया गया। उक्त छात्र को दिनांक 07/11/16 को कुलानुशासक मण्डल की बैठक में महाराणा प्रताप छात्रावास में दिनांक 06/11/16 को हुई अनुशासनहीनता की घटना के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया था।


आदित्य पँवार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में घटना के समय विश्वविद्यालय परिसर/छात्रावास में उपस्थित न होकर पी०वी०एस० मॉल में होना बताया है जिसके साक्ष्य विडियो सी०डी० के रूप में भी समिति को दिये हैं। ऐसी स्थिति में अनुशासन समिति के सदस्यों ने सम्यक विचारोपन्त आदित्य पँवार का विश्वविद्यालय प्रवेश प्रतिबन्ध समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही समिति ने आदित्य पँवार को विश्वविद्यालय स्थित छात्रावासों में प्रवेश (छात्रावास आवंटन) प्रतिबन्ध जारी रखने का निर्णय लिया है।


समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि छात्र को भविष्य में किसी भी अनुशासनहीनता में सम्मिलित न होने का शपथ-पत्र तीन दिन के अन्दर कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।



सरू कुमारी


नाजिया तरन्नुम



धर्मेन्द्र प्रताप



सचिन कुमार



प्रदीप चौधरी



यशवेन्द्र वर्मा



दुष्यन्त कुमार


रविन्द्र कुमार


बीरपाल सिंह


भूपेन्द्र सिंह


वाई० विमला



माननीय कुलपति जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

13.9.18



DEPARTMENT OF RUSSIAN LANGUAGE
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT (U.P.) - 250 004.

Tel. +91 (0121) -276-32-38 (0), <http://www.foreignlanguagesmeerut.blogspot.in> E-mail: dlccsu@gmail.com

Ref. No.: RLD/PB/4250

Dated: 28.08.2018

Vice-Chancellor
C.C.S. University

Sir,

This is to inform, that today, i.e., Saturday, 28 July 2018, in the pre-lunch hours, one applicant for the "Certificate of Proficiency in French", Acad. Session 2018-19, through the Open Merit Application Process, commencing from today, had come to Department along with his father, Sh. Omprakash Singh Sirohi.

The details of the candidate are as follows:

Candidate's Name: Sh, Divesh Sirohi

Registration No.: 18C0183313

1. In the presence of his father, when he was asked to mention the "Correct Course Name" for the Open Merit Application, Sh. Divesh Sirohi, suddenly became angry, started misbehaving with the undersigned by calling him names; started abusing by un-parliamentary language; and threatened to call student leaders; leaders of certain political parties; threatened to register a formal complaint with the Police on mobile and his father prompting his son to call up the P.A. of certain Mr. Virender Sirohi, and also by calling the Press/Media Persons.
2. Sh. Divesh Sirohi, S /o Sh. Omprakash Singh Sirohi, has also taken admission in the Inst. of Business Studies in the Current Academic Session, 2018-19.
3. When Sh. Divesh Sirohi, S /o Sh. Omprakash Singh Sirohi, was abusing and threatening the undersigned, by hearing the commotion, the Proctor Office staff and the Home Guards on duty at the ground floor came rushing to the first floor, where this Department is situated. However, neither Sh. Divesh Sirohi, nor his father, relented from continuing further with their action.
4. Even before taking admission, or being selected, the candidate has started misbehaving.

The Open Merit Admissions' Schedule is as follows:

Admission Start Date: Monday, 30th July 2018
Admission Close Date: Tuesday, 31st July 2018.

Submitted for further guidance, and appropriate directive to the undersigned.
Thanking you in anticipation..


Yours,


(S.K. Dutta)

Copy for info. to:

1. Prof. Vimala Y., DSW & Admissions' In-Charge, C.C.S.U.
2. Prof. J.K. Dhaka, Proctor, C.C.S.U.
3. Registrar, C.C.S.U.
4. File.

'18.


कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ


पत्रांक: कुला०/
दिनांक: 28.05.2018


बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 28.05.2018 को अपराह्न 02:00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में मोनिका बडोदिया पुत्री श्री अशोक कुमार छात्रा- बी०पी०एड० प्रथम वर्ष बनाम मोनिका एवं किरन छात्रायें बी०पी०एड० प्रथम वर्ष के प्रकरण में अनुशासन समिति की दिनांक 24/25.05.2018 की पूर्व की बैठकों के तारतम्य में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-


1. प्रो० आर० के० सोनी (छात्र कल्याण अधिष्ठाता)
2. प्रो० भूपेन्द्र सिंह (कुलानुशासक)
3. प्रो० बीरपाल सिंह (सहायक कुलानुशासक)
4. प्रो० शिवराज सिंह (सहायक कुलानुशासक)
5. प्रो० विजय जायसवाल (समन्वयक, बी०पी०एड०)
6. डॉ० सरू कुमारी (सहायक कुलानुशासक)
7. डॉ० प्रदीप चौधरी (सहायक कुलानुशासक)
8. डॉ० सचिन कुमार (सहायक कुलानुशासक)
9. डॉ० दुष्यन्त कुमार (सहायक कुलानुशासक)


अनुशासन समिति के समक्ष बैठक में मोनिका बडोदिया अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित हुईं, साथ ही मोनिका एवं किरन भी अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित हुईं। समिति के समक्ष दोनों पक्षों तथा उनके अभिभावकों ने लिखित में एक समझौता पत्र प्रस्तुत किया जिसमें छात्रायें मोनिका बडोदिया तथा मोनिका एवं किरन ने लिखित रूप में अपनी शिकायतें वापस ले लीं। अतः अनुशासन समिति के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया कि क्योंकि दोनों पक्षों का लिखित समझौता हो गया है एवं दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें लिखित रूप में वापस ले ली हैं (पत्र संलग्न), अतः उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।



(डॉ० दुष्यन्त कुमार) 28/5/18


(डॉ० सचिन कुमार) 28-5-2018



(डॉ० प्रदीप चौधरी)



(डॉ० बीरपाल सिंह) 28-5-2018


(प्रो० विजय जायसवाल) 28-5-2018



(प्रो० शिवराज सिंह) 28/5/18


(प्रो० बीरपाल सिंह) 28/5/18


(प्रो० भूपेन्द्र सिंह) 28/5/18


(प्रो० आर० के० सोनी) 28/5/18

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-


कुलपति जी
28/5/18



कार्यालय-कुलानुशासक
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

पत्रांक:


दिनांक: 25.05.2018


बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 25.05.2018 को अपराह्न 2.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में मोनिका बडोदिया पुत्री श्री अशोक कुमार छात्रा शारीरिक शिक्षा विभाग प्रथम वर्ष बनाम मोनिका एवं किरन छात्रायें शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रकरण में अनुशासन समिति की दिनांक 24.05.2018 की पूर्व की बैठक के तारतम्य में एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी, जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए:-


1. प्रो० वाई० विमला, छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, कुलानुशासक
3. प्रो० विजय जायसवाल, सहायक, शारीरिक शिक्षा विभाग
4. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, सहायक कुलानुशासक
5. डॉ० दुष्यन्त चौहान, सहायक कुलानुशासक
6. डॉ० सरू कुमारी, सहायक कुलानुशासक
7. डॉ० प्रदीप चौधरी, सहायक कुलानुशासक
8. डॉ० सचिन कुमार, सहायक कुलानुशासक


अनुशासन समिति ने दिनांक 24.05.2018 की बैठक में दोनों पक्षों को अपने अभिभावकों के साथ आज के दिन अर्थात् दिनांक 25.05.2018 को समिति के समक्ष उपस्थित रहने को कहा था, जिसमें मोनिका बडोदिया अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित हुईं, परन्तु मोनिका एवं किरन अपने-अपने रिश्तेदारों को ही बुला पायीं। अतः अनुशासन समिति के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समिति अपनी अगली बैठक दिनांक 28.05.2018 को करेगी, जिसमें इस प्रकरण से सम्बन्धित सभी छात्राओं को निर्देश दिया कि वे अपने अभिभावकों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हो ताकि समिति इस प्रकरण में उनके अभिभावकों को जानकारी देते हुए अपना अन्तिम निर्णय ले लें।



(प्रो० वाई० विमला)



(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)



(प्रो० विजय जायसवाल)


(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)


(डॉ० दुष्यन्त चौहान)


(डॉ० सरू कुमारी)


(डॉ० प्रदीप चौधरी)


(डॉ० सचिन कुमार)



कार्यालय-कुलानुशासक
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

पत्रांक:

दिनांक: 14.05.2018

बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 14.05.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में मोनू कुमार उर्फ मोनू राठी, छात्र एम0जे0एम0सी0 प्रथम वर्ष बनाम अनम, छात्रा, एम0जे0एम0सी0 के प्रकरण में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी, जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए:-


1. प्रो० वाई० विमला, छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, कुलानुशासक
3. प्रो० बीरपाल सिंह, सहायक कुलानुशासक
4. प्रो० रविन्द्र कुमार, सहायक कुलानुशासक
5. प्रो० शिवराज सिंह पुण्डीर, सहायक कुलानुशासक
6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, सहायक कुलानुशासक
7. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप, सहायक कुलानुशासक
8. डॉ० नाजिया तरन्नुम, सहायक कुलानुशासक
9. डॉ० मनोज कुमार श्रीवास्तव, समन्वयक, एम0जे0एम0सी0 विभाग
10. डॉ० प्रशान्त कुमार, सहयुक्त आचार्य, एम0जे0एम0सी0 विभाग


बैठक में छात्र मोनू कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 08.03.2018 जो कि मा० कुलपति जी को सम्बोधित है, और कुलानुशासक को अग्रसारित है तथा प्रत्यावेदन दिनांक 12.05.2018 जो कि कुलानुशासक को सम्बोधित है का संज्ञान लिया गया।


छात्र मोनू कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 08.03.2018 के सम्बन्ध में समन्वयक एम0जे0एम0सी0 विभाग की रिपोर्ट एवं सम्बन्धित प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी संख्या- 0046 दिनांक 19.01.2018 में पुलिस द्वारा जाँचोपरान्त न्यायालय को प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या- 106/18 जो कि दिनांक 07.05.2018 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है का संज्ञान लिया गया, जिसमें पुलिस जाँच में छात्र मोनू कुमार को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष पाया गया है।


उक्त के आलोक में छात्र मोनू कुमार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा अन्तिम रिपोर्ट की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से छात्र मोनू कुमार का रस्टिकेशन समाप्त करने का निर्णय लिया तथा चेतावनी दी कि भविष्य में अनुशासहीनता के किसी भी कृत्य में सम्मिलित होने की पुनरावृत्ति न करें।



14/5/18
(प्रो० वाई० विमला)



14/5/18
(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)



(प्रो० बीरपाल सिंह)



14/5/18
(प्रो० रविन्द्र कुमार)



14/5/18
(प्रो० शिवराज सिंह)


(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)



(डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप)


(डॉ० नाजिया तरन्नुम)


(डॉ० मनोज कुमार श्रीवास्तव)


(डॉ० प्रशान्त कुमार)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।


मा० कुलपति 14.5.18




चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
कुलानुशासक कार्यालय


पत्रांक : कुला०/1168
दिनांक : 01-05-18


आज दिनांक 01/05/2018 को सांय 06:00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी उपस्थित रहें:


1. प्रो० भूपेन्द्र सिंह
2. प्रो०वीर पाल सिंह
3. डॉ० रविन्द्र कुमार
4. डॉ० दुष्यंत कुमार चौहान
5. डॉ० प्रदीप चौधरी
6. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा
7. कर्नल अनिल सिरौही
8. प्रवीण कुमार


बैठक में विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों सूर्य भानु सिंह पुत्र श्री मनवीर सिंह बी०बी०ए० द्वितीय सेमेस्टर, निवासी- रूम न०-58, के०पी० हॉस्टल व अभिषेक यादव पुत्र श्री रामनरेश यादव बी०ए०एल०एल०बी०द्वितीय सेमेस्टर, निवासी, सै०-3, जागृति विहार, मेरठ द्वारा दिनांक 01/05/2018 को दिये गये प्रत्यावेदन जिसमें इनके द्वारा सचिन कादियान, बी०टैक (सी०एस०) द्वितीय सेमेस्टर आर०के० हॉस्टल, अमन बालियान बी०टैक (कैमिकल) द्वितीय सेमेस्टर आर०के० हॉस्टल, आयुश देवल बी०टैक (कैमिकल) द्वितीय सेमेस्टर, आर०के० हॉस्टल, अतुल सैनी बी०टैक (ए०जी०) द्वितीय सेमेस्टर आर०के० हॉस्टल पर दिनांक 28/04/2018 को मारपीट करने एवं जान से मारने की नियत से फायर करने का आरोप लगाया साथ ही छात्रों सूर्यभानु सिंह एवं अभिषेक यादव द्वारा उक्त आरोपित छात्रों के खिलाफ मैडिकल थाने में प्राथमिकी (न० 0295) भी दर्ज करा दी गयी हैं। सम्बन्धित प्रकरण पर अनुशासन समिति के सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चारों छात्रों (सचिन कादियान, अमन बालियान, आयुश देवल, अतुल सैनी) को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय (छात्रावास सहित) से निलम्बित किया जाता है, साथ ही निर्णय लिया गया है कि अग्रिम कार्यवाही जाँच एवं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी।



(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)



(प्रो० वीर पाल सिंह) 01/05/2018



(डॉ० रविन्द्र कुमार) 01/05/18



(डॉ० दुष्यंत कु० चौहान)


(डॉ० प्रदीप चौधरी)


(डॉ०यशवेन्द्र वर्मा)


(कर्नल अनिल सिरौही)


(प्रवीण कुमार) 01/05/18

Approved

01.5.18



कार्यालय-कुलानुशासक
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

पत्रांक: कुला० पी०वी० सी० न०/११६३
दिनांक: 14.04.2018

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 14.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में कुलानुशासक मण्डल की एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो० भूपेन्द्र सिंह
2. प्रो० बीरपाल सिंह
1. डॉ० रविन्द्र कुमार
2. डॉ० अशोक कुमार
3. डॉ० दुष्यन्त चौहान
4. डॉ० प्रदीप चौधरी

बैठक में निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

1. पत्रांक पी०वी०सी०/9891 दिनांक 04.04.2018 द्वारा दिनांक 02.04.2018 को प्रातः 9.45 बजे पुस्तकालय में आन्दोलनकारियों की भीड़ के हंगामे की जाँच हेतु गठित जाँच समिति की जाँच आख्या का अवलोकन किया गया। जाँच आख्या में दिये गये विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त एम०लिब० के छात्र श्री सोहन लाल की संलिप्ता पायी गयी। उक्त के सन्दर्भ में समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के छात्र श्री सोहनलाल का आन्दोलनकारियों के साथ आन्दोलन के समय रहना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अतः सम्बन्धित छात्र को इस कृत्य के लिए छात्र के विभागाध्यक्ष के माध्यम से कारण बताओं नोटिस जारी किया जाय, जिसका उत्तर आने पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।
2. बीर शिरोमणी महाराणा प्रताप छात्रावास के छात्र श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर कक्ष संख्या- 19, बी०टैक० (एजी) तृतीय वर्ष के द्वारा छात्र श्री रिषभ कुमार, कक्ष संख्या- 15, बी०टैक० (ई०सी०), तृतीय वर्ष के विरुद्ध मैस में धक्का देने व गाली-गलौज के सम्बन्ध में की गयी शिकायत जो मा० कुलपति जी द्वारा मुख्य छात्रावास अधीक्षक को अग्रसारित है के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में मुख्य छात्रावास अधीक्षक व सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रावास के नियमानुसार कार्यवाही कर कुलानुशासक कार्यालय को अवगत कराया जाय।
3. छात्र श्री अंकुर कुमार विधि विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में कार्यरत डॉ० प्रमोद कुमार बन्सल, पर दवाई न देने व अभद्र भाषा प्रयोग करने के सम्बन्ध में लिखित शिकायत दिनांक 15.02.2018 जो कि प्रतिकुलपति जी को सम्बोधित है एवं चिकित्सक डॉ० प्रमोद कुमार बन्सल द्वारा छात्र कल्याण अधिष्ठाता को पत्र के माध्यम से इस प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत करायी गयी शिकायत का भी संज्ञान लिया गया। उक्त सन्दर्भ में छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा डॉ० प्रमोद कुमार बन्सल के शिकायती पत्र पर सुझाये गये बिन्दुओं जैसे कि विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में विभिन्न स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाने आदि के निर्णय की समिति ने संस्तुति की ताकि भविष्य में ऐसी गठनाओं की पुनरावृत्ति न हों।

(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)

(प्रो० बीरपाल सिंह)

(डॉ० रविन्द्र कुमार)

(डॉ० अशोक कुमार)

(डॉ० दुष्यन्त चौहान)

(डॉ० प्रदीप चौधरी)

मा० कुलपति जी

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

18/4/18

(Bhupendra Singh)

दिनांक : 19 जनवरी 2018


बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 19-01-2018 को पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की छात्रा अनम पुत्री मुमताज द्वारा श्री मोनू कुमार (उर्फ मोनू राठी) व उसकी पत्नी निशा राठी पर लगाए गए आरोप के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए:


1. प्रो० वाई विमला, छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2. प्रो० जितेन्द्र ढाका, कुलानुशासक
3. प्रो० बीर पाल सिंह, सहायक कुलानुशासक
4. डॉ० दुष्यंत चौहान, सहायक कुलानुशासक
5. डॉ० प्रदीप चौधरी, सहायक कुलानुशासक
6. डॉ० मनोज कुमार श्रीवास्तव, समन्वयक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
7. डॉ० प्रशांत कुमार, आसिसटेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
8. दीपिका वर्मा, आसिसटेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग


उक्त प्रकरण में छात्रा अनम द्वारा छात्र मोनू कुमार पर अभद्र भाषा का प्रयोग, पढ़ाई छोड़कर जाने व जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं जिसमें मोनू कुमार की पत्नी निशा राठी (बाहरी महिला) की सलिप्तता भी पाई गयी है उपरोक्त आरोपों की सभी साक्ष्यों द्वारा पुष्टि पाई गई है। मोनू कुमार द्वारा आरोपों के सम्बन्ध में दिया गया स्पष्टीकरण उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत पाया गया। यहाँ यह भी सूच्य है कि उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा भी श्री मोनू कुमार (मोनू राठी) को दोषी मानते हुए आज दिनांक 19-01-2018 को सांय 04.00 बजे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग की अन्य छात्राओं ने भी श्री मोनू कुमार (मोनू राठी) व उसकी पत्नी पर फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग एवं धमकी देने की शिकायत विभाग में की है। विभागीय जांच में भी छात्र मोनू कुमार पर उक्त आरोपों की पुष्टि हुयी है।


अतः बैठक में सर्वसम्मति से श्री मोनू कुमार (उर्फ मोनू राठी) को तत्काल प्रभाव से रेस्ट्रिकेट करने व उसकी पत्नी निशा राठी का विश्वविद्यालय परिसर प्रवेश (entry) प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। अग्रिम कार्यवाही पुलिस जांचोपरान्त की जायेगी।



(प्रो० वाई विमला)



(प्रो० जितेन्द्र ढाका)


(प्रो० बीर पाल सिंह)


(डॉ० प्रदीप चौधरी)



(डॉ० मनोज कुमार श्रीवास्तव)



(डॉ० प्रशांत कुमार)


(दीपिका वर्मा)

अनुमोदनार्थ पत्रक

Approved


20/01/18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

सेवा में,

कुलपति महोदय

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

दिनांक: 10.10.2017

विषय : विश्वविद्यालय (वि०वि०) तथा दुर्गा भाभी महिला छात्रावास से निष्कासित सुश्री मीना पटेल, शोध छात्रा, समाज शास्त्र विभाग की आपको, जिला प्रशासन, प्रदेश एवं देश के विभिन्न अधिकारियों को प्रेषित वि०वि० प्रशासन/अधिकारियों/शिक्षकों/अधोहस्ताक्षरियों के प्रति असत्य, मनगढ़ंत एवं अमर्यादित शिकायत दिनांकित 04.10.2017 के सम्बंध में वस्तुस्थिति का प्रकटीकरण।

महोदय,

आप द्वारा वांछित छात्रा के उपरोक्त पत्र विषयक आपको अवगत कराना है कि यह छात्रा वर्ष 2015 में भी पूर्व चीफ वार्डन एवं दुर्गा भाभी महिला छात्रावास की पूर्व वार्डन पर इसी प्रकार के असत्य, मनगढ़ंत एवं अमर्यादित आरोप लगा चुकी है जो कि विस्तृत जॉचोपरान्त असत्य एवं गलत पाये गये थे। उक्त के प्रमाण संलग्न है (संलग्नक -1, 2, 3 व 4)। महिला छात्रा होने के नाते वि०वि० ने सहृदयता से इस छात्रा को इस शर्त/चेतावनी के साथ पुनः छात्रावास आबंटित कर दिया था कि वह भविष्य में इस प्रकार का अनुशासनहीन एवं अनैतिक आचरण नहीं करेगी (संलग्नक- 1 व 3)। जबकि छात्रा उसके पश्चात भी अनुशासनहीनता, एवं छात्रावास के कॉंपरेटिव मैस में अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितताओं जैसे कृत्यों में संलिप्त रही/रहती है, और बार-बार चेतावनी एवं अवसर प्रदान करने के बावजूद भी नहीं मानी, तो वि०वि० को विश्वविद्यालय हित को सर्वोपरि मानते हुए उक्त छात्रा सुश्री मीना पटेल को दिनांक 03.07.2017 एवं दिनांक 05.10.2017 को क्रमशः छात्रावास एवं वि०वि० से निष्कासित करने का निर्णय लेना पड़ा (संलग्नक -5 व 6)। छात्रा द्वारा उक्त शिकायत (संलग्नक -7) वि०वि० की उपरोक्त कार्यवाही के प्रतिकार में तथा वि०वि० द्वारा छात्रावास खाली कराने की पूर्व निर्धारित तिथि 05.10.2017 (संलग्नक -8) से मात्र एक दिन पूर्व 04.10.2017 को अपने कृत्यों पर पर्दा डालने, प्रशासन को भ्रमित करने एवं स्वयं पर कार्यवाही से बचने के लिये की गई है। जो कि पूर्णतः असत्य, गलत, मनगढ़ंत, अमर्यादित, बलहीन तथा निराधार है जिसके प्रमाण संलग्न हैं (संलग्नक -1 से 6 व 8)। यह पत्र संलग्नकों सहित जिला, प्रदेश एवं देश के सम्बंधित अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत होने हेतु भी प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय :

(डा० गरिमा सिंह)

सहा० वार्डन

(प्रो० आराधना गुप्ता)

वार्डन

(प्रो० पी०के० शर्मा)

चीफ वार्डन

(प्रो० जितेन्द्र कुमार)

कुलानुशासक

(प्रो० वाई० विमला)

छात्र कल्याण अधिष्ठात्री

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैया० सहा० कुलसचिव को कुलसचिव द्वारा पृष्ठांकित उपरोक्त शिकायत के उत्तर में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. छात्र कल्याण अधिष्ठात्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रोक्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. चीफ वार्डन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समन्वयक, महिला प्रकोष्ठ को सूचनार्थ।

(प्रो० आराधना गुप्ता)

वार्डन

(प्रो० पी०के० शर्मा)

चीफ वार्डन



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

२५.१०.१७ - ६

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 26/9/17

कु० मीना पटेल के प्रकरण में कुलसचिव जी के पत्रांक पी०ए०/९३८८, दिनांक २६.०९.२०१७ द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक ०५.१०.२०१७ को पूर्वाह्न १०.०० बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक (चीफ वार्डन) कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में सम्पन्न हुयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. प्रो० वाई० विमला | छात्र कल्याण अधिष्ठात्री |
| 2. प्रो० यागोन्द्र सिंह | छात्रा के शोध निर्देशक |
| 3. प्रो० जिलेन्द्र कुमार | कुलानुशासक |
| 4. प्रो० पी०के० शर्मा | मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 5. प्रो० जयमाला | समन्वयक, महिला प्रकोष्ठ |
| 6. प्रो० प्रतिभा त्यागी | वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास |
| 7. प्रो० ए०के० चौबे | वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास |
| 8. प्रो० अतवीर सिंह | वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास |
| 9. प्रो० आराधना | वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास एवं सदस्या महिला प्रकोष्ठ |
| 10. डा० दिनेश कुमार | वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास |
| 11. डा० वीरपाल सिंह | सहा० वार्डन, डा० भीमराव अम्बेडकर छात्रावास |
| 12. डा० आलोक कुमार | विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग (सम्बन्धित विभाग) |
| 13. डा० संजय कुमार | सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास |
| 14. डा० यशवेन्द्र वर्मा | वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास |
| 15. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान | वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास |
| 16. कर्नल (भू०पू०) अनिल सिरोही | वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० आजाद छात्रावास |
| 17. डा० अल्पना अग्रवाल | सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास |
| 18. डा० गरिमा सिंह | सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास |
| 19. डा० नाजिया तरन्नुम | पूर्व सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास एवं सदस्या महिला प्रकोष्ठ |
| 20. डा० अशोक कुमार | सहा० कुलानुशासक |
| 21. डा० प्रदीप कुमार | सहा० कुलानुशासक |

आज दिनांक ०५.१०.२०१७ को पूर्वाह्न में ११.०० बजे मा० कुलपति जी द्वारा गठित उपरोक्त समिति की दुर्गा भाभी महिला छात्रावास से निष्काशित कु० मीना पटेल, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ (विश्वविद्यालय का पत्र सं० १८६०, दिनांक ०३.०७.२०१७ व पत्र सं० पी०ए०/९३८८, दिनांक २६.०९.२०१७) से छात्रावास कक्ष खाली कराने की कार्यवाही करनी है (संलग्नक-१ व २)। परन्तु इससे पूर्व समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श करना अति महत्वपूर्ण समझा। उल्लेखनीय है कि बार-बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी छात्रा छात्रावास का कक्ष खाली नहीं कर रही है और लगातार अनुशासन हीनता एवं उल्टे झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप कर रही है।

मे ०५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

Page 1 of 2

५/१०/१७

५/१०/१७

५/१०/१७

५/१०/१७

५/१०/१७

०३

01. समिति ने छात्रावास खाली कराने की तिथि 05.10.2017 से एक दिन पूर्व मा० कुलपति जी, जिला प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों को प्रेषित किये गये कु० मीना पटेल के पत्र दिनांक 04.10.2017 (संलग्नक-3) का भी संज्ञान लिया। उक्त पत्र में कु० मीना पटेल ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रकरण से भ्रमित करने, स्वयं पर कार्यवाही से बचने की मंशा से व शङ्कितकारी तरीके से जान-बूझ कर वार्डन, चीफ वार्डन, प्रोक्टर एवं विश्वविद्यालय प्रशासन पर उल्टे ही झूठे आरोप-प्रत्यारोप किये हैं। उल्लेखनीय है कि, कु० मीना ने कल भी कुलसचिव कार्यालय में हंगामा व अभद्रता की थी। समिति ने कु० मीना पटेल के पूर्व के अनुशासनहीनता एवं शरारत पूर्ण कृत्यों का भी सन्दर्भ लिया। कु० मीना पटेल प्रशासन/अधिकारियों/शिक्षकों पर अवांछित दवाब बनाने हेतु व स्वयं पर कार्यवाही से बचने के लिये पूर्व में इसी तरीके से झूठे आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं। जिसका विवरण कु० मीना पटेल को छात्रावास से निष्कासित करने वाले पत्र दिनांक 03.07.2017 में भी दिया गया है। (संलग्नक-4)। यह कि कु० मीना पटेल ने पूर्व में भी छात्रावास की पूर्व वार्डन व चीफ वार्डन पर भी इसी प्रकार झूठे, मनगढत, शरारत पूर्ण व स्वयं पर कार्यवाही से बचने तथा अवांछित दवाब बनाने हेतु अशोभनीय आरोप लगाये थे। इस सम्बंध में विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति व महिला प्रकोष्ठ की आख्या दिनांक 05.11.2015, कु० मीना पटेल का स्वयं का पत्र/शपथ पत्र दिनांक 05.11.2015 तथा कुलसचिव जी के पत्र सं० पी०ए०/8367, दिनांक 09.11.2015 पुष्टि स्वरूप संलग्न हैं। (संलग्नक-5, 6 व 7)

02. समिति ने यह भी संज्ञान लिया की कु० मीना पटेल का यह आचरण अति निन्दनीय एवं विश्वविद्यालय के पठन पाठन एवं प्रशासनिक संचालन में भी बाधक हैं। इस छात्रा के कारण आये दिन न केवल सहपाठी छात्र/छात्राओं बल्कि शिक्षकों का भी समय एवं शान्ति भंग होती है। पूर्व प्रकरण में इस छात्रा को सशर्त छात्रावास कक्ष आवंटित किया गया था कि वह अपना आचरण शालीन रखेगी व अनुशासन में रहेगी। परन्तु बहुतायत में अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी इस छात्रा के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है और न ही सुधार होने की कोई सम्भावना प्रतीत होती है। अतः विश्वविद्यालय हित को सर्वोपरि मानते हुए समिति का सर्वसम्मति से प्रबल मत है कि कु० मीना पटेल का तत्काल प्रभाव से पी०एच०डी० प्रवेश/पंजीकरण निरस्त करते हुये उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाये व तत्काल छात्रावास खाली कराया जाये।

03. चूँकि प्रकरण छात्रा से सम्बंधित हैं, छात्रा निरंकुशता दिखा रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन/अधिकारियों/शिक्षकों पर झूठे व अशोभनीय आरोप लगाने की आदी व माहिर हैं इसलिए समिति का एकमत है कि छात्रावास खाली कराने वाली समिति में जिलाधिकारी, मेरठ/सक्षम अधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जाये। इस आशय का पत्र कुलसचिव जी द्वारा शीघ्र प्रेषित किया जाये।

(डा० वरवन्ध्र वर्मा) (डा० दुष्यन्त कुमार चौहान) (डा० अल्पना अग्रवाल) (डा० अशोक कुमार)
 (डा० प्रदीप कुमार) (कर्मल भु०पु० अमिल सिरोही) (डा० गरिमा सिंह) (डा० नाजिया तरन्नुम)
 (डा० दिनेश कुमार) (डा० वीरपाल सिंह) (डा० आलोक कुमार) (डा० संजय कुमार) (प्रो० प्रतिभा त्वागी)
 (प्रो० ए०के० चौबे) (प्रो० अतवीर सिंह) (प्रो० आराधना) (प्रो० जयमाला)
 (प्रो० जितेन्द्र कुमार) (प्रो० पी०के० शर्मा) (प्रो० मीना पटेल) (प्रो० वाई० विमला)

कुलसचिव जी को अवलोकनार्थ व मा० कुलपति जी को स्टाफ अनुमोदनार्थ
 (कुलसचिव) (कुलपति जी) Approved

सर छोटूराम अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी संस्थान

चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ -2500 05

दूरभाष : 0121-2770083, 2774974

पत्रांक : एससीआर/43ए/17

दिनांक : 08.09.2017



दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2017 को अनुशासन कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान के प्रशासनिक भवन में दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2017 को अनुशासन समिति की बैठक प्रशासनिक महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में अनुशासन समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. श्री अमरजीत | कन्वीनर |
| 2. श्री अनुज प्रताप सिंह | सदस्य |
| 3. श्री अमित पूनिया | सदस्य |
| 4. श्री प्रवीन पवार | सदस्य |
| 5. श्री पंकज कुमार | सदस्य |
| 6. श्री मानव बंसल | सदस्य |
| 7. श्री अंकित सिसौदिया | सदस्य |

दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2017 को सम्पन्न बैठक में दिनांक 08.09.2017 को छात्र शिवम सिंह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष की संस्थान के 04 छात्रों के साथ से हुए झगड़े (01 निखिल कुमार सिंह एजी द्वितीय वर्ष, 02- अनुज कुमार सिंह, आईटी तृतीय वर्ष, 03- परवेज आलम, सीएस तृतीय वर्ष 04- रविकान्त, आईटी तृतीय वर्ष) में कारण बताओं नोटिस का उत्तर देने के लिये छात्र उपस्थित रहे।

समिति ने बैठक में आरोपित सभी छात्रों के पक्ष सुने जिसमें छात्रों द्वारा घटित प्रकरण में सभी चारों छात्रों की संलिप्तता पाई गई है 05.09.2017 को घटित प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए समिति के सदस्यों ने उक्त दिवस की सीसीटीवी फुटेज का ध्यनापूर्वक निरीक्षण एवं गहन विचारोपरान्त आरोपित छात्रों पर निम्न कार्यवाही की जा रही है -

1. उपरोक्त दिवस को घटित प्रकरण में सभी 04 आरोपी छात्रों को लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
2. सीसीटीवी फुटेज की दुबारा गहन जाँच की जा रही है।
3. समस्त प्रकरण में लिप्त छात्रों के अभिभावकों को संस्थान की ओर से पंजीकृत डाक द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है पत्र में सभी अभिभावकों को दिनांक 16.09.2017 तक सक्षत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
4. चूकि पीडित छात्र के द्वारा मेडिकल थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अतः आरोपित छात्रों को गटित समिति की जाँच आख्या आने तक एवं अन्य अग्रिम आदेशों तक सस्पेन्ड किया जाता है।

श्री अनुज प्रताप सिंह
सदस्य

श्री पंकज कुमार
सदस्य

श्री अमित पूनिया
सदस्य

श्री मानव बंसल
सदस्य

श्री प्रवीन पवार
सदस्य
श्री अंकित सिसौदिया
सदस्य

श्री अमरजीत सिंह
कन्वीनर

कर्मन अमित कुमार
अध्यक्ष

Approved as proposed
12/9/17



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक: कुला०/
दिनांक: 22.08.2017

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 22.08.2017 को सांय 3:30 बजे कुलानुशासक कार्यालय में दिनांक 15.07.2017 को सीड साइंस विभाग में हुई गोलीबारी की घटना के सन्दर्भ में अभियुक्तों द्वारा दिये गये विभिन्न प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे—


1. प्रो० वाई० विमला (छात्र कल्याण अधिष्ठाता)
2. प्रो० जितेन्द्र कुमार (कुलानुशासक)
3. प्रो० पी० के० शर्मा (मुख्य छात्रावास अधीक्षक)
4. प्रो० आराधना (सहायक कुलानुशासक)
5. डॉ० बीरपाल सिंह (सहायक कुलानुशासक)
6. डॉ० रविन्द्र कुमार (सहायक कुलानुशासक)
7. डॉ० अशोक कुमार (सहायक कुलानुशासक)
8. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा (सहायक कुलानुशासक)
9. डॉ० दुष्यन्त कुमार (सहायक कुलानुशासक)
10. डॉ० प्रदीप चौधरी (सहायक कुलानुशासक)
11. डा० अरुण अरुण गौड़ (समन्वयक, सीड साइंस विभाग)


उपरोक्त वर्णित घटना में नामजद राजदीप विकल पुत्र श्री महाराज सिंह के माननीय कुलपति महोदय को सम्बोधित प्रत्यावेदनों जो कि, माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 02.08.2017 एवं प्रति कुलपति जी द्वारा दिनांक 28.07.2017 को कुलानुशासक क्रो अग्रसारित है तथा आदेश प्रधान पुत्र श्री भोपाल सिंह के माननीय कुलपति महोदय/कुलानुशासक महोदय को दिये गये प्रत्यावेदनों जो कि दिनांक 24.07.2017, 01.08.2017, 08.08.2017 व 19.08.2017 को माननीय कुलपति जी द्वारा कुलानुशासक महोदय को अग्रसारित है, का अनुशासन समिति के सदस्यों द्वारा गहन अवलोकन किया गया। सम्यक विचारोपरान्त अनुशासन समिति ने निर्णय लिया कि उक्त घटना में नामजद अरुण खटाना एवं प्रवेश कुमार उर्फ विजय धामा का रेरिटिकेशन एवं परिसर प्रवेश प्रतिबन्ध जारी रहेगा। साथ ही अनुशासन समिति ने आदेश प्रधान द्वारा माननीय कुलपति/कुलानुशासक महोदय को सम्बोधित उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रत्यावेदनों पर गहन विचार-विमर्श करते हुए श्री आदेश प्रधान का पुलिस जाँच/माननीय न्यायालय के निर्णय आने तक प्रवेश प्रतिबन्ध जारी रखने का निर्णय लिया क्योंकि आदेश प्रधान पूर्व में भी विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता की विभिन्न घटनाओं में सम्मिलित रहने के कारण निलम्बित रहे हैं।


Ar. Khattana


Pr. Khattana


तदोपरान्त जाँच के आधार पर अग्रिम निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया जायेगा। अनुशासन समिति ने राजदीप विकल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों को दिये गये विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त राजदीप विकल के पूर्व में विश्वविद्यालय में किसी अनुशासनहीनता की घटना में सम्मिलित/कार्यवाही न होने के कारण इनके प्रवेश प्रतिबन्ध को अग्रिम आदेशों/पुलिस प्रशासन की जाँच/माननीय न्यायालय के निर्णय के आने तक समाप्त किया जाता है। तदोपरान्त जाँच के आधार पर अग्रिम निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया जायेगा। साथ ही राजदीप विकल के प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त अनुशासन समिति ने निर्णय लिया कि राजदीप विकल को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में सत्र 2017-18 से प्रवेश के लिये विचार नहीं किया जायेगा। राजदीप विकल का विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं देने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के जनरल रूल नियमावली संख्या-15 के अनुपालन में लिया गया है।


(डॉ० प्रदीप चौधरी)



(डॉ० दुष्यन्त कुमार)



(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)



(डॉ० अशोक कुमार)



(डॉ० रविन्द्र कुमार)



(डॉ० बीरपाल सिंह)


(प्रो० आरुधना)



(प्रो० पी० के० शर्मा)


(डॉ० सुरेश चन्द्र)


(प्रो० वाई० विमला)


(प्रो० जितेन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:


कुलपति जी
23/8/17

कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक: कुला०/
दिनांक: 09.05.2017

बैठक की कार्यवाही


आज दिनांक 09.05.2017 को सांय 4:00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई जिसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे—

1. प्रो० वाई० विमला (छात्र कल्याण अधिष्ठाता)
2. प्रो० जितेन्द्र कुमार (कुलानुशासक)
3. प्रो० पी० के० शर्मा (मुख्य छात्रावास अधीक्षक)
4. प्रो० आराधना (सहायक कुलानुशासक)
5. डॉ० बीरपाल सिंह (सहायक कुलानुशासक)
6. डॉ० आलोक कुमार (सहायक कुलानुशासक)
7. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा (सहायक कुलानुशासक)
8. डॉ० अशोक कुमार (सहायक कुलानुशासक)
9. डॉ० प्रदीप चौधरी (सहायक कुलानुशासक)
10. श्री सत्य प्रकाश (समन्वयक, इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज विभाग)
11. डॉ० सोहन गर्ग (निदेशक, एस.सी.आर.आई.ई.टी.)

बैठक में निम्न प्रकरणों पर विचार विमर्श हुआ—


प्रकरण:—1 दिनांक 05.12.2016 को अध्यक्ष, छात्र संघ कार्यालय पर हुई घटना के प्रकरण में श्री देवेश कुमार राणा (छात्र, एम०बी०ए० प्रथम सेमेस्टर) एवं छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्यावेदन दिनांक 05.05.2017 जो कि कुलपति जी को सम्बोधित है तथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता को अग्रसारित है का संज्ञान लिया गया। प्रकरण में श्री देवेश कुमार राणा को पत्रांक-कुला०/1097 दिनांक 07.12.2016 के क्रम में विश्वविद्यालय से रेस्टिकेट किया गया था तथा अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय/पुलिस प्रशासन की जांचोपरान्त किया जाना था। सन्दर्भित प्रकरण में माननीय न्यायालय, मेरठ द्वारा दिनांक 02.05.2017 को आदेशित थानाध्यक्ष, मेडिकल मेरठ को सम्बन्धित प्रकरण में दिनांक 04.05.2017 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। पुलिस द्वारा दिनांक 04.05.2017 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में श्री देवेश कुमार राणा को सम्बन्धित अभियोग (मुकदमा संख्या 723/016) में वांछित नहीं पाया गया है। उक्त के आलोक में अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से श्री देवेश कुमार राणा का रेस्टिकेशन वापस करते हुए अध्यक्ष, छात्र संघ विश्वविद्यालय परिसर (शैक्षणिक सत्र 2016-17) के पद पर बहाल करने का निर्णय लिया गया।


प्रकरण:—2 दिनांक 18.04.2017 को विश्वविद्यालय अभियन्ता के कार्यालय में अवर अभियन्ता श्री मनोज कुमार के साथ कुछ लड़कों द्वारा कैलाश प्रकाश छात्रावास के कमरा नम्बर-37 को सील करने के सम्बन्ध में हुए झगड़े, गाली-गलौच करने, दबानु बनाने व जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में थाना- मेडिकल, मेरठ में दर्ज




अभियोग (मुकदमा संख्या 0049/2017) के सम्बन्ध में समिति ने अभियन्ता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी वीडियो सी०डी०, फोटोग्राफ एवं विश्वविद्यालय अभियन्त्रण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर छात्र श्री अंकित पुत्र श्री सतीश कुमार (बी.ए.एल.एल.बी., चतुर्थ सेमेस्टर) को घटना में चिन्हित किया गया तथा सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से छात्र अंकित को निलम्बित किये जाने व कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया कि क्यों न आपका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाये। वह 10 दिनों के अन्दर कुलानुशासक कार्यालय में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।


प्रकरण:-3 दिनांक 06.11.2016 की रात्रि लगभग 10:00 बजे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप छात्रावास में तोड़फोड़ करने, शराब पीने व विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ अभद्रता करने के आरोप में छात्र विकास राणा (एम०फिल०, राजनीति विज्ञान विभाग) को पात्रांक कुला०/1095 दिनांक 07.11.2016 को छात्रावास एवं संस्थान से निलम्बित करते हुए दिनांक 15.11.2016 को अपना लिखित स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय में प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में छात्र द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आलोक में निलम्बन समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही छात्र का भविष्य में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया गया।



(डॉ० सोहन गर्ग) 09/15/17



(श्री सत्य प्रकाश)

(डॉ० प्रदीप चौधरी)



(डॉ० अशोक कुमार)



(डॉ० यशवेन्द्र वर्मा)



(डॉ० आलोक कुमार)


(डॉ० बीरपाल सिंह)


(प्रो० आरोधना)



(प्रो० पी० के० शर्मा)


(प्रो० वाई० विमला)



(प्रो० जितेन्द्र कुमार)

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-


कुलपति जी 09.15.17



DSW
प्रकरण पर के सम्बन्ध
में अस्थायी आवेदन
का प्रवाह करते हुए कठोर
करे।


11.5.17


17/15/17



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए० / १०२०

दिनांक : 15.05.2018 4-7-2018

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय कार्यहित में बिन्दु (1) पर इंगित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को भी प्रोक्टोरियल बोर्ड में शामिल किया जाता है तथा बिन्दु (2) पर इंगित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को अतिरिक्त छात्रावास सहायक अधीक्षक नियुक्त किया जाता है :-

(1) प्रोक्टोरियल बोर्ड

- डा० अशोक सोम, एस०सी०आर०आई०ई०टी०।
- श्री अंकित सिसौदिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी०।
- डा० स्वाति सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी०।

(2) सहायक वार्डन

- श्री अमित कुमार पुनिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - एम०पी० छात्रावास
- डा० सी०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - आर०के० छात्रावास
- श्री डी०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - न्यू ब्याज छात्रावास
- डा० अर्चना त्रिवेदी, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - दुर्गा भाभी छात्रावास
- श्री अंकित सिसौदिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - के०पी० छात्रावास

विश्वविद्यालय के वर्तमान में गठित प्रोक्टोरियल बोर्ड में छात्रावास अधीक्षक/सहायक अधीक्षक पूर्ववत रहेंगे। उपरोक्त सभी प्रोक्टोरियल बोर्ड एवं छात्रावास अधीक्षक/सहायक छात्रावास अधीक्षकों एवं सहायक वार्डनों को भी विश्वविद्यालय के नियमानुसार मानदेय एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक सहायक-कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- चीफ प्रॉक्टर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- ✓ चीफ वार्डन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- समस्त प्रोक्टोरियल बोर्ड, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- समस्त सहायक वार्डन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Seen

PKL
4.7.18

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

(2)



पत्रांक : शैक्षणिक/461
दिनांक : 16/10/2017

सेवा में,
डॉ० नाजिया तरन्नुम,
सहायक आचार्या, रसायन विभाग,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय :- दुर्गा भाभी महिला छात्रावास की सहायक अधीक्षिका नियुक्त होने सम्बन्धी।

महोदय,

मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 23.08.2017 के अनुपालन में आपको, अग्रिम आदेशों तक, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास की सहायक अधीक्षिका नियुक्त किया जाता है।

भवदीय,

सहा० कुलसचिव (शैक्षणिक)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. वित्ताधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. मुख्य छात्रावास अधीक्षक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. छात्रावास अधीक्षिका, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सहा० कुलसचिव (शैक्षणिक)
कृते कुलसचिव



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/Acad/3042

दिनांक : 14.09.2022

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय कार्यहित में विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षक एवं सहा० छात्रावास अधीक्षकों की व्यवस्था निम्न प्रकार से पुनर्गठित की जाती है -

1. डॉ० कैलाश प्रकाश छात्रावास

डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, जन्तु विज्ञान विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

इंजी० अंकित सिसोदिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

2. 40 दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास

इंजी० डी०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० अश्वनी शर्मा, माइक्रोबायोलोजी विभाग -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

3. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास

इंजी० प्रवीण पंवार, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

छात्रावास अधीक्षक

इंजी० लक्ष्मी शंकर सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

4. वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप छात्रावास

डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, विष विज्ञान विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० के०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

5. डॉ० आर०के० सिंह छात्रावास

डॉ० दिनेश कुमार, अर्थशास्त्र विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

6. डॉ० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास

प्रो० जे०एस० भारद्वाज, शिक्षा विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० अजय कुमार, प्लांट प्रोटेक्शन विभाग -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

7. दुर्गा भाभी महिला छात्रावास

डॉ० सरू कुमारी, गणित विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० नाजिया तरन्नुम, रसायन विज्ञान विभाग -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

श्रीमती निधि भाटिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

8. रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास

प्रो० बिन्दु शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० वन्दना राणा, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

श्रीमती दिव्या शर्मा, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

नोट:- उपरोक्त सभी छात्रावास अधीक्षक एवं सहा० छात्रावास अधीक्षकों को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संयोजक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर।
5. इंजी० मिलिन्द (एस०सी०आर०आई०ई०टी०), प्रो० संजय कुमार (मनोविज्ञान विभाग), इंजी० सौरभ गौड (एस०सी०आर०आई०ई०टी०), प्रो० संजीव कुमार (अर्थशास्त्र विभाग), प्रो० अल्पना अग्रवाल (मनोविज्ञान विभाग), श्रीमती नेहा गर्ग (एम०बी०ए०/एच०ए०), डॉ० सी०पी० सिंह (एस०सी०आर०आई०ई०टी०) को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

6

पत्रांक : शैक्षणिक/2001
दिनांक : 18.03.2021

सेवा में,
श्रीमति दिव्या शर्मा,
प्रवक्ता एप्लाइड साइन्स,
एस0सी0आर0आई0ई0टी0, मेरठ।

विषय :- लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास के सहायक वार्डन के सम्बन्ध में।

महोदय,


निदेशक, एस0सी0आर0आई0ई0टी0 ने पत्र दिनांक 20.02.2021 द्वारा श्रीमती दिव्या, प्रवक्ता, एप्लाइड साइंस, एस0सी0आर0आई0ई0टी0 को लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास के सहायक वार्डन का कार्यभार ग्रहण करने हेतु नाम प्रस्तावित किया है।

तत्कम में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा श्रीमती दिव्या, प्रवक्ता, एप्लाइड साइंस, एस0सी0आर0आई0ई0टी0 को लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास की सहायक वार्डन का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. निदेशक, एस0सी0आर0आई0ई0टी0, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
05. श्रीमती दिव्या, प्रवक्ता, एप्लाइड साइंस, एस0सी0आर0आई0ई0टी0 को सूचनार्थ प्रेषित।
06. चीफ वार्डन चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव
08.03.21



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

8

पत्रांक : सामान्य-08/43

दिनांक : 08/03/2018

कार्यालय आदेश


मा० कुलपति जी आदेशानुसार विश्वविद्यालय कार्यहित में एस०सी०आर०आई०ई०टी० परिसर में स्थित क० लक्ष्मी शंकर सिंह छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक छात्रावास अधीक्षक की नवनियुक्ति निम्न प्रकार से की जाती है।

पूर्वास्थिति	वर्तमान आदेशानुसार स्थिति
1. कर्नल (से०नि०) अनिल कुमार पशारानिक अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक	इ० प्रवीन कुमार, प्रवक्ता, आई०टी० छात्रावास अधीक्षक
2. इ० प्रवीन कुमार, प्रवक्ता, आई०टी० सहायक छात्रावास अधीक्षक	इ० लक्ष्मी शंकर सिंह, प्रवक्ता, आई०टी० सहायक छात्रावास अधीक्षक

कुलसचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
01. वैयक्तिक सहायक- कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
 02. वैयक्तिक सहायक- प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति जी के सूचनार्थ।
 03. वैयक्तिक सहायक- वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
 04. वैयक्तिक सहायक- कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
 05. वैयक्तिक सहायक- परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ।
 06. सम्बन्धित विभाग/सहायक शिक्षक/निदेशी/अनुभागाधिवक्ता।
 07. सम्बन्धित विभाग/सहायक।

सहा० कुलसचिव(प्रशा०)



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

①

पत्रांक : सामान्य-08/1852
दिनांक : 16/5/2015

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.05.2015 के अनुपालन में डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, प्रवक्ता, जन्तु विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को माह अप्रैल-2014 से डॉ० कैलाश प्रकाश छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

कुलसचिव
16/5/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वैयक्तिक सहायक-कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक-प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
04. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. श्री सुधीर शर्मा, चीफ वार्डन, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर, मेरठ।

प्रभारी (प्रशा०)

2 A



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०पी० / ११५ / १६

दिनांक : 12.07.2016

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेशों के अनुपालन में प्रो० अराधना गुप्ता, इतिहास विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को दुर्गा भाभी महिला छात्रावास के वार्डन पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रो० अराधना गुप्ता, इतिहास विभाग द्वारा वार्डन के कार्यों का निर्वहन किया जायेगा।

40.1
12/7/16
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रो० अराधना गुप्ता, इतिहास विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. प्रो० जयमाला को इस आशय से कि वार्डन के पद से सम्बन्धित सभी स्टाफ, सम्बन्धित अभिलेख एवं अवस्थापना सुविधाएँ कृपया तत्काल नवनियुक्त वार्डन प्रो० अराधना गुप्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. प्रो० पी० कें० शर्मा चीफ वार्डन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. समस्त वार्डन / विभागाध्यक्ष / विभागाधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. वित्त नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. सचिव कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. उपकुलसचिव (सम्बद्धता), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी, जनसूचना विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. वि०वि० प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

40.1
कुलसचिव

To,

2 B

The Registrar,
Chaudhary Charan Singh University,
Meerut.

Dated: 09.09.2021

Subject: Joining Report as Warden of Durga Bhabhi Hostel in Chaudhary Charan Singh University Campus, Meerut.


Sir,

With reference to your letter No. P.A./3977 dated 09.09.2021, I hereby report my joining as Warden of Durga Bhabhi Hostel, Chaudhary Charan Singh University Campus, Meerut from the afternoon of 09.09.2021.

Kindly accept my joining report.

Thanking you.

Sincerely,


(Dr. Saru Kumari)
Assistant Professor
Department of Mathematics
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Copy to the following for information and necessary action:-

1. SVC for kind information of the Hon'ble Vice-Chancellor.
2. Pro Vice Chancellor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, for kind information.
- ✓ 3. Chief Warden, Chaudhary Charan Singh University, Meerut.
4. Finance Officer, Chaudhary Charan Singh University, Meerut.
5. DSW, Chaudhary Charan Singh University, Meerut.
6. Proctor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut.
7. Prof. Aradhana Gupta, Department of History, Chaudhary Charan Singh University, Meerut.
8. Incharge, Website, Chaudhary Charan Singh University, Meerut.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक : सम्बद्धता / 306
दिनांक : 26/6/19

कार्यालय आदेश

अपवाद 19000 श्रीमान्साह जीव जाईन डी संस्मृति के प्रचार पर कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में स्थित छात्रावासों में निम्नलिखित शिक्षकों को दिनांक 23 06 2019 से वाईन एवं चलायक वाईन नियुक्त किया गया है, जो इस प्रकार है -

<u>No.</u>	<u>Hostel Name</u>	<u>Warden</u>	<u>Asstt. Warden</u>
	Veer Shevaram Maharana Pratap	Dr. P. K. Sharma Deptt. of Genetics and Plant Breeding	Dr. Ravindra Singh Deptt. of English
2	Dr. R. K. Singh	Dr. Dinesh Kumar Deptt. of Economics	Dr. Alok Kumar Deptt. of Sociology
3	Dr. Kailash Prakash	Dr. S. S. Gaurav Deptt. of Genetics and Plant Breeding	Dr. Jagvir Sharma Deptt. of Education
4	Dr. B. K. Anand Singh	Dr. Anoop Singh Deptt. of Economics	Dr. Beer Pal Singh Deptt. of Physics
5	Dogra Bhadri	Dr. Jaimala Deptt. of Math	Dr. Ajay Vijay Kaur Deptt. of History
6	New Mahila	Prof. Poojita Dangi Deptt. of English	Dr. Alpana Agrawal Deptt. of Psychology


कुलसचिव
26/6/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें प्रेषित -

01. सचिव कुलपति के कुलपति जी के सूचनायें।
02. विला नियंत्रक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
03. प्राय कल्याण अधिकारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
04. सहाय कुलसचिव (नैसर्ग) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
05. प्रमुख प्रशासक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
06. सम्बन्धित शिक्षकों को सूचनायें प्रेषित।

कुलसचिव



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

5

पत्रांक : पी०ए०/८७२५
दिनांक : ०५/०९/२०१६

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेशों के अनुपालन में डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, असि० प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप छात्रावास के वार्डन पद पर नियुक्त किया जाता है। डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, असि० प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग, द्वारा उक्त छात्रावास में वार्डन के कार्यों का निर्वहन किया जायेगा। डॉ० यशवेन्द्र वर्मा को विश्वविद्यालय के नियमानुसार मानदेय प्रदान किया जायेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, असि० प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. डॉ० रविन्द्र कुमार, एस० प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
3. सचिव कुलपति, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. प्रो० पी०के० शर्मा, चीफ वार्डन, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. समस्त वार्डन/विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. उपकुलसचिव (सम्बद्धता), चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी, जनसूचना विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. वि०वि० प्रेस प्रवक्ता, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


५५
०५/०९/१६
कुलसचिव

①

⑥ B

DEPARTMENT OF ENGLISH & MODERN EUROPEAN & OTHER FOREIGN LANGUAGES
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dr. Pratibha Tyagi
~~Reader & Head~~ Professor



To
The Chief Warden
CCS University
Meerut

Sir,

With reference to your letter dated 23 September 2008 I wish to inform you that I have joined my duties as the warden of the New Mahila Hostel with effect from 23 September 2008 as per the orders of the Vice Chancellor.

Yours truly,

P Tyagi

Pratibha Tyagi

Copy to:

- ① Registrar
- ② F.C
- ③ Accounts
- ④ PA to VC

Received
A.C. Chivaria
28/9/08



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut


(6)C

पत्रांक : पी0ए0/3579

दिनांक : 20.03.2021

कार्यालय आदेश

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से प्रो0 बिन्दु शर्मा, आचार्य जन्तु विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को अग्रिम आदेशों तक के लिए विश्वविद्यालय परिसर स्थित रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास के वार्डन पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रो0 बिन्दु शर्मा, आचार्य जन्तु विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को नियमानुसार मानदेय प्रदान किये जायेंगे।


कुलसचिव


प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. प्रो0 बिन्दु शर्मा, आचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रो0 प्रतिभा त्यागी, अंग्रेजी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. मुख्य छात्रावास अधीक्षक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. परामर्श विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. कुल सचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. विश्वविद्यालय अभियन्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
09. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
10. विश्वविद्यालय वेबसाईट।

कुलसचिव

(7) A

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT



Ref. No. PA/4749
Dated 16.09.2010

NOTIFICATION

The Vice Chancellor has been pleased to appoint Dr. A.K. Chaubey, Reader, Department of Zoology, Ch. Charan Singh University, Meerut as Warden to look after the New Boys Hostel from the date of taking over charge of the Hostel as Warden.

Dr. A.K. Chaubey is entitled for honorarium and other allowances as per existing rules.

2/16/9/2010
Registrar

Copy to:

1. ✓ Dr. A.K. Chaubey, Reader, Department of Zoology, CCSU, Meerut with request to kindly take over the charge immediately and send joining report the under signed and the Accounts Department of the University.
2. SVC for kind information to Vice Chancellor, CCSU, Meerut
3. The Dean Students Welfare, CCSU, Meerut
4. The Proctor, CCSU, Meerut
5. The Chief Warden, CCSU, Meerut
6. The Finance Controller, CCSU, Meerut
7. The University Engineer, CCSU, Meerut
8. The Assistant Registrar (Account), CCSU, Meerut
9. The Assistant Registrar (General), CCSU, Meerut
10. The Accounts Officer, CCSU, Meerut

2/16/8/2010
Registrar



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए० / 4547

दिनांक : 18.12.2021

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय कार्यहित में विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षक एवं सहा० छात्रावास अधीक्षकों की व्यवस्था निम्न प्रकार से पुनर्गठित की जाती है -

- डॉ० कैलाश प्रकाश छात्रावास
डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, जन्तु विज्ञान विभाग - छात्रावास अधीक्षक
इंजी० अंकित सिसोदिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - सहा० छात्रावास अधीक्षक
- पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
डॉ० संजय कुमार, मनोविज्ञान विभाग - छात्रावास अधीक्षक
इंजी० सौरभ गौड, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - सहा० छात्रावास अधीक्षक
- डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास
इंजी० मिलिन्द, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - छात्रावास अधीक्षक
इंजी० लक्ष्मी शंकर सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - सहा० छात्रावास अधीक्षक
- वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप छात्रावास
डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, विष विज्ञान विभाग - छात्रावास अधीक्षक
डॉ० के०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - सहा० छात्रावास अधीक्षक
- डॉ० आर०के० सिंह छात्रावास
डॉ० दिनेश कुमार, अर्थशास्त्र विभाग - छात्रावास अधीक्षक
डॉ० सी०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - सहा० छात्रावास अधीक्षक
- डॉ० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास
प्रो० जे०एस० भारद्वाज, शिक्षा विभाग - छात्रावास अधीक्षक
डॉ० संजय कुमार, अर्थशास्त्र विभाग - सहा० छात्रावास अधीक्षक
- दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
डॉ० सरू कुमारी, गणित विभाग - छात्रावास अधीक्षक
डॉ० नाजिया तरन्नुम, रसायन विज्ञान विभाग - सहा० छात्रावास अधीक्षक
श्रीमती नेहा गर्ग, आई०बी०एस० - सहा० छात्रावास अधीक्षक
- रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास
प्रो० विन्दु शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग - छात्रावास अधीक्षक
डॉ० अल्पना अग्रवाल, मनोविज्ञान विभाग - सहा० छात्रावास अधीक्षक
श्रीमती दिव्या शर्मा, एस०सी०आर०आई०ई०टी० - सहा० छात्रावास अधीक्षक

नोट:- उपरोक्त सभी छात्रावास अधीक्षक एवं सहा० छात्रावास अधीक्षकों को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानवेय देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- मुख्य छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त विभागाध्यक्ष/संयोजक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर।
- प्रो० ए०के० चौबे (जन्तु विज्ञान विभाग), प्रो० अतवीर सिंह (अर्थशास्त्र विभाग), प्रो० आलोक कुमार (समाज शास्त्र विभाग), प्रो० विजय मलिक (वनस्पति विज्ञान विभाग), डॉ० अर्चना त्रिवेदी (एस०सी०आर०आई०ई०टी०), इंजी० डी०पी० सिंह (एस०सी०आर०आई०ई०टी०), इंजी० प्रवीण कुमार (एस०सी०आर०आई०ई०टी०) एवं इंजी० राहुल प्रकाश (एस०सी०आर०आई०ई०टी०) को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/Acad/3042

दिनांक : 14.09.2022

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय कार्यहित में विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षक एवं सहा० छात्रावास अधीक्षकों की व्यवस्था निम्न प्रकार से पुनर्गठित की जाती है -

1. डॉ० कैलाश प्रकाश छात्रावास

डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, जन्तु विज्ञान विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

इंजी० अंकित सिसोदिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

2. पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास

इंजी० डी०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० अश्वनी शर्मा, माईक्रोबायलोजी विभाग -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

3. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास

इंजी० प्रवीन पंवार, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

छात्रावास अधीक्षक

इंजी० लक्ष्मी शंकर सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

4. वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप छात्रावास

डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, विष विज्ञान विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० के०पी० सिंह, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

5. डॉ० आर०के० सिंह छात्रावास

डॉ० दिनेश कुमार, अर्थशास्त्र विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

6. डॉ० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास

प्रो० जे०एस० भारद्वाज, शिक्षा विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० अजय कुमार, प्लांट प्रोटेक्शन विभाग -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

7. दुर्गा भाभी महिला छात्रावास

डॉ० सरू कुमारी, गणित विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० नाजिया तरन्नुम, रसायन विज्ञान विभाग -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

श्रीमती निधि भाटिया, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

8. रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास

प्रो० बिन्दु शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग -

छात्रावास अधीक्षक

डॉ० वन्दना राणा, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

श्रीमती दिव्या शर्मा, एस०सी०आर०आई०ई०टी० -

सहा० छात्रावास अधीक्षक

नोट:- उपरोक्त सभी छात्रावास अधीक्षक एवं सहा० छात्रावास अधीक्षकों को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संयोजक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर।
5. इंजी० मिलिन्द (एस०सी०आर०आई०ई०टी०), प्रो० संजय कुमार (मनोविज्ञान विभाग), इंजी० सौरभ गौड (एस०सी०आर०आई०ई०टी०), प्रो० संजीव कुमार (अर्थशास्त्र विभाग), प्रो० अल्पना अग्रवाल (मनोविज्ञान विभाग), श्रीमती नेहा गर्ग (एम०बी०ए०/एच०ए०), डॉ० सी०पी० सिंह (एस०सी०आर०आई०ई०टी०) को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : सामान्य-08/43
दिनांक : 08/03/2018

कार्यालय आदेश

शा० कुलपति जी आदेशानुसार विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र में एस०सी०आर०आई०ई०टी० परिसर में स्थित
शा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक छात्रावास अधीक्षक की मननियुक्ति
निम्न प्रकार से की जाती है।


पूर्वास्थिति	वर्तमान आदेशानुसार स्थिति
1. कर्नल (से०नि०) अनिल कुमार प्रशासनिक अधिकारी / छात्रावास अधीक्षक	इ० प्रवीन कुमार, प्रवक्ता, आई०टी० छात्रावास अधीक्षक
2. इ० प्रवीन कुमार, प्रवक्ता, आई०टी० सहायक छात्रावास अधीक्षक	इ० लक्ष्मी शंकर सिंह, प्रवक्ता, आई०टी० सहायक छात्रावास अधीक्षक

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वैयक्तिक सहायक--कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक--प्रति--कुलपति को प्रति--कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक--वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
04. वैयक्तिक सहायक--कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. वैयक्तिक सहायक--परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ।
06. सम्बन्धित विभाग/विश्वविद्यालय / विभागाधिकारी, अनुभागाधिकारी।
07. सम्बन्धित कर्मचारी/पदा।

सहा० कुलसचिव(प्रशा०)



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

TENURE OF CHIEF WARDEN
2017 to 2022

S.No.	Name of Chief Warden	Duration	
		From	To
01.	Prof. P.K. Sharma	19.11.2015	25.11.2021
02.	Prof. Rup Narayan	26.11.2021	Continued

(Prof. Rup Narayan)
Chief Warden



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/१३७०

दिनांक : 18.11.2015

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेशों के अनुपालन में प्रो० पी० के० शर्मा, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग को चीफ वार्डन के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रो० पी० के० शर्मा, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा चीफ वार्डन के कार्यों का निर्वहन किया जायेगा।

P. C.
18/11/15
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रो० पी० के० शर्मा, कृषि वनस्पति विभाग।
2. प्रो० सुधीर शर्मा को इस आशय से कि चीफ वार्डन के पद से सम्बन्धित सभी स्टाफ, सम्बन्धित अभिलेख एवं अवस्थापना सुविधाएँ कृपया तत्काल नवनियुक्त चीफ वार्डन प्रो० पी०के० शर्मा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त वार्डन/विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी।
4. वित्त नियंत्रक
5. सचिव कुलपति।
6. उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
7. प्रभारी, जनसूचना विभाग।
8. वि०वि० प्रेस प्रवक्ता।

कुलसचिव



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

List of Wardens 2017- 2022				Working Assistant Wardens
Sr. No.	HOSTEL	WARDEN	DURATION	ASST. WARDEN
01.	Dr. Kailash Prakash Boys Hostel (Established in 1970)	Dr. D.K. Chauhan (Zoology)	01-04-2014 - Contd.	Er. Ankit Sisodia (SRIET)
02.	Durga Bhabhi Girls Hostel (Established in 1978)	Prof. Aradhna Gupta (History) Dr. Saru Kumari (Mathematics)	13-07-2016 to 08-09-2021 09-09-2021 - Contd..	Dr. Nazia Tarannum (Chemistry) Smt. Nidhi Bhatiya
03.	Dr. R.K. Singh Boys Hostel (Established in 1992)	Dr. Dinesh Kumar (Economics)	23-09-2008 - Contd.	Dr. Dharmendra Kumar (SRIET)
04.	Dr. B.R. Ambedkar Boys Hostel (Established in 2000)	Prof. Atvir Singh (Economics) Prof. J.S. Bhardwaj (Education)	23-09-2008 to 17-12-2021 18-12-2021 - Contd.	Dr. Ajay Kumar (Plant Prot.)
05.	Veer Shiromani Maharana Pratap Boys Hostel (Established in 2005)	Dr. Yeshvendra Verma (Toxicology)	06-09-2016 - Contd.	Dr. K.P. Singh (SRIET)

Sr. No.	HOSTEL	WARDEN	DURATION	ASST. WARDEN
06.	Rani Laxmi Bai Girls Hostel (Established in 2005)	Prof. Pratibha Tyagi (English) Prof. Bindu Sharma (Zoology)	23-09-2008 to 19-03-2021 20-03-2021 - Contd.	Smt. Divya Sharma (SRIET) Dr. Vandhna Rana (SRIET)
07.	Pt. Deen Dayal Upadhyay Boys Hostel (Established in 2009)	Prof. A.K. Chaubey (Zoology) Dr. Sanjay Kumar (Psycho.) Er. D. P. Singh (SRIET)	16-09-2010 to 18-12-2021 19-12-2021 to 13-09-2022 14-09-2022 - Contd.	Dr. Ashwani Sharma (Microbiology)
08.	Dr. A.P. J. Abdul Kalam Boys Hostel (Established in 2011)	Col. (Retd.) Anil Kumar Er. Pravin Kr. (SRIET) Er. Milind (SRIET) Er. Pravin Kumar (SRIET)	2013 to 12-03-2018 13-03-2018 to 18-12-2021 19-12-2021 to 13-09-2022 14-09-2022 - Contd.	Er. Laxmi Shankar Singh (SRIET)

(Prof. Rup Narayan)
Chief Warden